



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
ईटानगर

ईटानगर में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर में एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए ई-टेंडर

ईटानगर में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर में एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है। अनुबंध शुरूआत में 31 मार्च, 2027 तक वैध होगा और अधिकतम दो और वर्षों, एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जो संतोषजनक प्रदर्शन या अन्य अवधि/मापदंडों, जो बैंक तय कर सकता है, के अधीन होगा। ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 16 मई 2026 को 14:00 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदा" खंड देखें और निविदा अपलोड करने के लिए कृपया एमएसटीसी की वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण के लिए <https://www.mstcecommerce.com> पर जाएं। ई-टेंडर की संक्षिप्त जानकारी एवं शेड्यूल इस प्रकार है:

1	निविदा का तरीका	https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वाणिज्यिक बोली)
2	ई-निविदा सं.	RBI/Itanagar/HRMD/1/26-27/ET/8
3	अनुमानित लागत	₹47,50,161/-
4	बयाना जमाराशि	₹95,004/- (अनुमानित लागत का 2%) खाता संख्या - 8692299 (Earnest Money Deposit), आईएफएससी- RBIS0GWPA01 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना है [एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में विक्रेता के नाम/कंपनी के नाम का उल्लेख करते हुए]। ईएमडी में कोई ब्याज नहीं होगा। यह ठेका दिए जाने के 10 कार्य दिवसों के भीतर असफल निविदाकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा। सफल निविदाकर्ताओं के मामले में, ईएमडी बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।
5	बैंक गारंटी	सफल बोलीदाता द्वारा 2,37,509/- रु (अनुमानित लागत का 5%) जमा किया जाएगा।
6	लेनदेन शुल्क	MSTC लिमिटेड के पक्ष में MSTC गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान, जैसा कि M/s MSTC Ltd. द्वारा सलाह दी गई है।
7	ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	27 अप्रैल, 2026 को 15:00 बजे
8	प्री-बिड मीटिंग	04 मई, 2026 को 12:00 बजे

9	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की समाप्ति की तिथि	16 मई, 2026 को 14:00 बजे तक
10	(i) भाग I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय (ii) भाग II (वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय	(i) 16 मई, 2026 को 15:00 बजे (ii) भाग-II (वित्तीय बोली) इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं के लिए खोली जाएगी जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) को भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर द्वारा स्वीकार्य पाया जाता है। ऐसे निविदाकर्ता (ओं) को उनके द्वारा दिए गए वैध ई-मेल के माध्यम से भाग- II (वित्तीय बोली) के खुलने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

नोट: कृपया यह भी नोट करें कि आगे अतिरिक्त जानकारी /शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर



भारतीय रिज़र्व बैंक ईटानगर

निविदा आमंत्रित करने की सूचना

ईटानगर में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर में एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए ई-टेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर "ईटानगर में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने" हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक होगा। ई-टेंडरिंग एमएसटीसी के ई-टेंडरिंग लिमिटेड (<https://mstcecommerce.com/eprocn>) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी पात्र और इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

- इच्छुक निविदाकारों को बयाना राशि के रूप में 95,004/- रुपये (केवल पंचानबे हजार चार रुपये) का भुगतान एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को करना होगा। प्रेषण के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर कार्यालय को संबोधित किया जाएगा ताकि 16 May 2026 को दोपहर 12 बजे तक "ईटानगर में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए ई-निविदा के लिए ईएमडी" के रूप में सुपर स्क्रिप्शन के रूप में सुपर स्क्रिप्शन दिया जा सके।
- आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईएमडी के बिना ई-निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- भविष्य में जारी किया जाने वाला निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
ईटानगर

भारतीय रिज़र्व बैंक

ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय, ईटानगर

भाग - I

ईटानगर में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए ई-टेंडर

निविदाकर्ता का नाम:

पिन कोड के साथ डाक पता:

फोन/फैक्स/मोबाइल नंबर:

ई-मेल पता:

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। उक्त उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को जवाब देने के उद्देश्य को छोड़कर, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर इसकी प्रतिलिपि, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक ईटानगर

आरबीआई/ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/एमएसटीसी पोर्टल से लिया जाएगा

के लिए ई-निविदा

**ईटानगर में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए
प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा संविदा**

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, ईटानगर ने इच्छुक पार्टियों को परियोजना की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके संबंध में प्रदान किया गया किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन व्यक्त या निहित नहीं करते हैं।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना के साथ आगे न बढ़ने या परियोजना के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

**भारतीय रिज़र्व बैंक
ईटानगर**

ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित
अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा संविदा

विषय-सूची

कर्तन /परिशिष्ट	विवरण / विवरण	पेज नं.
भाग I		
खंड I	निविदा की अनुसूची	4
खंड II	महत्वपूर्ण निर्देश ई - खरीद	6
खंड III	बोली लगाने वालों के लिए सामान्य निर्देश	10
धारा IV	मूल्यांकन / चयन मानदंड	21
खंड V	काम का व्यापक दायरा	23
	कर्तव्य और जिम्मेदारियां	26
	सामान्य नियम और शर्तें	33
	तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश	42
	तकनीकी बोली फॉर्म -1	47
	तकनीकी बोली फॉर्म -2	49
अनुलग्नक-I	अनुभव का विवरण	52
अनुलग्नक-II	फर्म/एजेंसी/कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक प्रमाण पत्र	53
अनुलग्नक-III	बोली जमा करने के लिए चेक लिस्ट	54
अनुलग्नक-IV	बोलीदाता द्वारा उपक्रम	56
अनुलग्नक - V	वार्षिक कारोबार का प्रमाण पत्र	57
अनुलग्नक - VI	बैंकों का विवरण	58
भाग- II		
	वित्तीय बोली का प्रोफार्मा	60
	वेतन विश्लेषण (दरों का ब्रेक-अप)	62

खंड - I
निविदा की अनुसूची
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

ई-निविदा सं.	RBI/Itanagar/HRMD/1/26-27/ET/8
ई-टेंडर का नाम	ईटानगर में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा संविदा।
अ) अनुमानित लागत	₹47,50,161/- (सैंतालीस लाख रुपये पचास हजार एक सौ इकसठ रुपये मात्र)।
आ) ई-टेंडर का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - मूल्य बोली) के माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprocn
इ) ई-टेंडर का प्रकार	ओपन (दो बोली प्रणाली)
ई) एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	April 06, 2026 दोपहर 15: 00 बजे
उ) प्री-बिड मीटिंग	ऑफ़लाइन: May 04, 2026 दोपहर 12:00 बजे स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, चिंपू, ईटानगर
प्री-बिड मीटिंग /परिशिष्ट, यदि कोई हो, के कार्यवृत्त का प्रकाशन	May 06, 2026

ऊ) (i) एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से बयाना धन जमा (ईएमडी) करें और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें। इसके अलावा, लेन-देन विवरण (यूटीआर नंबर) को ई-मेल पर सूचित करें/अग्रेषित करें: pseltanagar@rbi.org.in	₹95,004/- (अनुमानित लागत का 2%) खाता संख्या - 8692299 (Earnest Money Deposit), आईएफएससी- RBIS0GWPA01 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना है [एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में विक्रेता के नाम/कंपनी के नाम का उल्लेख करते हुए]। ईएमडी में कोई ब्याज नहीं होगा। यह ठेका दिए जाने के 10 कार्य दिवसों के भीतर असफल निविदाकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा। सफल निविदाकर्ताओं के मामले में, ईएमडी बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।
---	--

क्र) बैंक गारंटी	सफल बोलीदाता द्वारा 2,37,509/- रु (अनुमानित लागत का 5%) जमा किया जाएगा।
(ii) ई-निविदा शुल्क	शून्य
ल) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि। (एनईएफटी विवरण की हार्ड कॉपी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले या उस पर (हाथ / डाक / कूरियर द्वारा) प्रस्तुत की जानी चाहिए, यदि लागू)	May 16, 2026 शाम 15:00 बजे तक
ए) https://mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	April 27, 2026 शाम 15:00 बजे से
ऐ) तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	May 16, 2026 शाम 14:00 बजे तक

ए) भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी बोली)। भाग II के खुलने की तिथि यानी मूल्य बोली को अलग से सूचित किया जाएगा	May 16, 2026 शाम 15:00 बजे तक
ऐ) ई-टेंडर की वैधता	तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
ऑ) लेन-देन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से भुगतान किया जाना है)	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से

खंड - II

ई - खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर का एक ई-खरीद कार्यक्रम है। प्रापण सेवा प्रदाता/एजेंसी/विक्रेता एमएसटीसी लिमिटेड है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस ई-निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें और समझें।

1.	<p>ई-टेंडर की प्रक्रिया:</p> <p>अ) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। ऐसी व्यवस्था करने के लिए एमएसटीसी/आरबीआई जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।</p> <p>विशेष नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली होनी चाहिए केवल www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन सबमिट किया गया</p> <p>एक) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों → आरबीआई का लोगो चुनना होगा -> विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना → सबमिट करना आवश्यक है।</p> <p>दो) विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।</p> <p>किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।</p> <p>संपर्क व्यक्ति (आरबीआई ईटानगर):</p> <ol style="list-style-type: none">भास्कर मित्रा, प्रबंधक ईमेल - bhaskarmitra@rbi.org.in मोबाइल नंबर-8697649048संजीव देसाई, सहायक प्रबंधक ई-मेल- sanjeevdesai@rbi.org.in मोबाइल- 8147961381 <p>संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):</p> <ol style="list-style-type: none">एमएसटीसी केंद्रीकृत हेल्प डेस्क नंबर 07969066600 ई-मेल - helpdeskho@mstcindia.in <p>कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "HO हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें।</p> <table border="1"><thead><tr><th>नाम</th><th>पदनाम</th><th>ईमेल</th><th>संपर्क करें</th></tr></thead><tbody><tr><td>श्री राजन गुप्ता</td><td>प्रबंधन प्रशिक्षु</td><td>ghyopn1@mstcindia.in</td><td>9690044570</td></tr><tr><td>श्री देबायन कर</td><td>सहायक प्रबंधक</td><td>Ghyopn3@mstcindia.in</td><td>9831149790</td></tr><tr><td>श्री प्रशांत चित्ररंजन</td><td>मैनेजर</td><td>Ghyopn2@mstcindia.in</td><td>8592888286</td></tr></tbody></table>	नाम	पदनाम	ईमेल	संपर्क करें	श्री राजन गुप्ता	प्रबंधन प्रशिक्षु	ghyopn1@mstcindia.in	9690044570	श्री देबायन कर	सहायक प्रबंधक	Ghyopn3@mstcindia.in	9831149790	श्री प्रशांत चित्ररंजन	मैनेजर	Ghyopn2@mstcindia.in	8592888286
नाम	पदनाम	ईमेल	संपर्क करें														
श्री राजन गुप्ता	प्रबंधन प्रशिक्षु	ghyopn1@mstcindia.in	9690044570														
श्री देबायन कर	सहायक प्रबंधक	Ghyopn3@mstcindia.in	9831149790														
श्री प्रशांत चित्ररंजन	मैनेजर	Ghyopn2@mstcindia.in	8592888286														

	<p>सिस्टम आवश्यकताएँ:</p> <ol style="list-style-type: none"> विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र। हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।
	<ul style="list-style-type: none"> Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode If enabled- i.e., Remove the tick from the tick box mentioning "Enable Protected Mode". Other Settings: Tools => Internet Options => General => Click On Settings under "browsing history/ Delete Browsing History" => Temporary Internet Files => Activate "Every time I Visit the Webpage". <p>vi) To enable ALL active X controls and disable 'use pop up blocker' under Tools→ Internet Options→ custom level (Please run IE settings from the page www.mstcecommerce.com once)</p> <p>vi) For more details, vendor may refer to Service Provider/Agency/Vendor Guide and FAQ available at www.mstcecommerce.com/eprocn.</p>
2.	तकनीकी बोली और वित्तीय/मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। ई-निविदाएं ई-निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।
3.	ई-टेंडर में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रारूपों में दर्ज किया जाना चाहिए।
4.	<p>लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:</p> <p>विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष ई-टेंडर का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत होगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।</p> <p>लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।</p> <p>एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।</p> <p>नोट:</p> <p>बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।</p>
5.	अपलोड किए गए ई-निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी ई-निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

7.

ई-टेंडर में बोली:

- अ) विक्रेताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए पात्रता मानदंड, ईएमडी, ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है। **ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल** विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को ई-निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- आ) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- इ) जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU/Government departments. → Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event.
- ई) विक्रेता जावा अनुप्रयोग चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वित्तीय विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चल रहा है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- उ) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को **अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए** "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए **"अंतिम सबमिशन"** बटन पर क्लिक कर सकता है।
- ऊ) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन **का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है**। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- ऋ) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- ल) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- एँ) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- ऐ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी संविदा करेंगे।
- ए) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- ऐ) क्रेता ई-टेंडर को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।
- ऑ) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

8.	इस ई-टेंडर के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
9.	तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
10.	ई-निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
11.	<p>विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से खुद को परिचित करने के www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ में वीडियो देखें।</p> <p>तकनीकी सहायता के लिए, एमएसटीसी के अधिकारियों से केंद्रीकृत हेल्पडेस्क संपर्क नंबर पर 07969066600 पहले से संपर्क किया जा सकता है और बोलीदाताओं को अंतिम समय की किसी भी भीड़ से बचने की सलाह दी जाती है। एमएसटीसी, बोलीदाताओं से आवश्यक किसी भी तकनीकी सहायता के मामले में बोलीदाता</p> <p>ई-टेंडर बंद होने के दिन से कम से कम एक दिन पहले एमएसटीसी से संपर्क करना चाहिए और अपने सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहिए।</p>

खंड - III
बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

खंडों की तालिका

अ. सामान्य

- एक. निविदा और सामान्य जानकारी का दायरा
- दो. निविदा दस्तावेजों की प्राप्ति
- तीन. निषिद्ध प्रथाएं
- चार. ई-निविदा दस्तावेज
- पाँच. पात्रता मानदंड

आ. निविदा दस्तावेज की सामग्री

- छः. निविदा दस्तावेज के अनुभाग
- सात. निविदा दस्तावेज और बोली-पूर्व बैठक का स्पष्टीकरण
- आठ. निविदा दस्तावेज में संशोधन

इ. निविदाएं तैयार करना

- नौ. निविदा की लागत
- दस. निविदा से जुड़े दस्तावेज
- ग्यारह. निविदा सुरक्षा और लेनदेन शुल्क के रूप में ईएमडी
- बारह. ईएमडी की जब्ती
- तेरह. निविदा पत्र
- चौदह. निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज
- पंद्रह. विभाग का दौरा
- सोलह. निविदाओं की वैधता की अवधि

ई. निविदाएं जमा करना और खोलना

- सत्रह. निविदाओं को जमा करना और चिह्नित करना
- अठारह. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि
- उन्नीस. प्रति बोलीदाता एक बोली
- बीस. देर से निविदाएं
- इक्कीस. निविदा उद्घाटन

उ. निविदाओं की जांच

- बाईस. गोपनीयता
- तेईस. निविदाओं का स्पष्टीकरण

ऊ. निविदा मूल्यांकन और तुलना

- चौबीस. निविदाओं का मूल्यांकन
- पच्चीस. निविदाकर्ता की योग्यता
- छब्बीस. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

ऋ. संविदा प्रदान

सत्ताईस. आबंटन मानदंड
अठ्ठाईस. आबंटन की अधिसूचना
उन्तीस. संविदा पर हस्ताक्षर
तीस. प्रदर्शन सुरक्षा

A. सामान्य	
1. निविदा और सामान्य जानकारी का दायरा	<p>1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर ने ऑनलाइन ई-टेंडर आमंत्रित किए www.mstcecommerce.com/eprocn दो बोली प्रणाली में निर्धारित संविदात्मक दायित्वों के अनुसार 12 महीने (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027) की प्रारंभिक अवधि के लिए ईटानगर में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर के लिए अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए। हालांकि, संविदा को उस अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है, जो सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन और संबंधित इकाई द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन है। संविदा का अनुमानित मूल्य ₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र) है। कार्य के व्यापक दायरे, सामान्य नियम और शर्तों और आवश्यक कर्मचारियों के विवरण के बारे में अधिक जानकारी खंड V में दी गई है। बैंक काम देने से पहले या यदि आवश्यक हो तो संविदा के दौरान किसी भी समय फर्म/कंपनी द्वारा तैनात किए जाने वाले अग्निशमन कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी फर्म/कंपनी को काम देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।</p>
2. निविदा दस्तावेजों को प्राप्त करना	<p>2.1 ई-निविदा दस्तावेज/निविदा आमंत्रित करने की सूचना www.mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है।</p> <p>2.2 इच्छुक पार्टियां यदि चाहें तो किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए निविदा में दर्शाए गए फोन/ई-मेल पर मानव संसाधन प्रबंध विभाग ईटानगर के अधिकारियों से संपर्क कर सकती हैं।</p>
3. निषिद्ध प्रथाएँ	<p>3.1 बैंक के लिए यह अपेक्षा है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, एजेंसियां, संविदा/सर्गाई की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:</p> <p>(अ) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. "भ्रष्ट प्रथाओं " का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना, या याचना करना; ii. "कपटपूर्ण प्रथाओं " का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास,

	<p>एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए;</p> <p>iii. "जबरदस्ती प्रथाओं " का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना; तथा</p> <p>iv. "मिलीभगत प्रथाओं" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;</p>
--	--

	<p>(आ) बैंक आबंटन के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि आबंटन के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता प्रश्न में निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;</p> <p>(इ) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है</p> <p>3.2 इसके अलावा, निविदाकारों को खंड V (कार्य का व्यापक दायरा, सामान्य नियम और शर्तें और कर्तव्य और जिम्मेदारियां) में बताए गए प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए</p>
--	---

<p>4. ई-निविदा दस्तावेज</p>	<p>4.1 निविदा में दस्तावेज (भाग- I और भाग- II) शामिल होंगे। भाग I में तकनीकी और वाणिज्यिक पात्रता शर्तें (सभी खंड और अनुलग्नक) शामिल हैं, साथ ही इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि को शामिल किया गया है।</p> <p>4.2 भाग-II में केवल वित्तीय/मूल्य बोली शामिल है।</p> <p>4.3 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-टेंडर दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।</p> <p>4.4 ई-निविदा जमा करने को सावधानीपूर्वक अध्ययन और ई-निविदा दस्तावेजों की जांच के बाद इसकी पूरी समझ के साथ किया गया माना जाएगा निहितार्थ।</p>
<p>5. पात्र निविदाकर्ता/पात्रता मानदंड</p>	<p>बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली एजेंसी निविदा फॉर्म के साथ दस्तावेजी प्रमाण की प्रतियां प्रस्तुत करेगी और जो एजेंसी इनमें से किसी भी मानदंड के अनुरूप नहीं है, वह पैनल में शामिल करने या शॉर्टलिस्टिंग के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगी:</p>

5.1 अनुभव।

इसी तरह के कार्यों का न्यूनतम 03 वर्ष (31 दिसंबर, 2025 तक) का अनुभव। आवेदकों को अपनी ग्राहक सूची और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाया गया हो।

(अ) एजेंसी को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए यानी मालिकाना फर्म, साझेदारी फर्म, एलएलपी फर्म, अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी।

(आ) एजेंसी को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक अच्छी तरह से स्थापित और प्रतिष्ठित संगठन होना चाहिए।

(इ) एजेंसी का अरुणाचल प्रदेश में एक कार्यालय (पंजीकृत/कॉर्पोरेट/शाखा/क्षेत्रीय/आंचलिक/प्रतिनिधि/संपर्क) होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है।

5.2 प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य।

एक.ठेके की अनुमानित लागत लगभग है। **₹47,50,161/-**

(सैंतालीस लाख रुपये पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र) एजेंसी को 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों (अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें):

(अ) तीन समान कार्य, प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं है।

या

(आ) दो समान कार्य, प्रत्येक की लागत कम से कम नहीं है अनुमानित लागत का 50%।

या

(इ) इसी तरह का एक काम, अनुमानित लागत का 80% से कम नहीं।

संतोषजनक पूर्णता / प्रदर्शन के लिए ग्राहक रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण के

रूप में अपलोड किया जाना चाहिए (स्कैन की गई कॉपी पीडीएफ प्रारूप) तदनुसार कार्य आदेश प्रस्तुत करें (अनुलग्नक II के अनुसार)

5.3 वार्षिक टर्नओवर

दो. राशि का न्यूनतम वार्षिक कारोबार बराबर होना चाहिए

₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र).

पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी 31 मार्च, 2025 तक अग्निशमन सेवा गतिविधियों के प्रावधान से।

5.4 पंजीकरण

एजेंसी को निम्नलिखित पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी चाहिए:

(ई) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र और एसोसिएशन के लेख के साथ।

(उ) दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(ऊ) ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।

(ऋ) ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (नवीनतम) के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र।

(ऌ) ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(यदि लागू हो)

(एँ) सेवा कर/जीएसटी पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र

5.5 सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट

तीन. राशि के लिए विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य के लिए अपने बैंकर से सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र **₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र).** सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की जारी की गई तारीख 31 दिसंबर, 2025 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।

5.6 एनईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खातों और उपक्रम का विवरण। उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, जब खोला जाए, आईएफएससी कोड आदि दिया जाए। निविदा फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में चालू खाता होना चाहिए और उन्हें यह वचन देना चाहिए कि वे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

बी. निविदा दस्तावेज की सामग्री	
6. निविदा दस्तावेज के अनुभाग	<p>6.1 निविदा दस्तावेज में दो भाग होते हैं जिनमें नीचे बताए गए सभी खंड शामिल होते हैं और बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी किए गए किसी भी लेख/अनुभाग के साथ पढ़ा जाना चाहिए।</p> <p>निविदा प्रक्रिया</p> <ul style="list-style-type: none"> • खंड- I: निविदा की अनुसूची • खंड- II: महत्वपूर्ण अनुदेश ई-प्रोक्योरमेंट के लिए • खंड- III: बोलीदाताओं को सामान्य निर्देश • अनुभाग- IV: मूल्यांकन / चयन मानदंड
	<p>संविदा और संविदा प्रपत्रों की शर्तें</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुभाग-V: कार्य का व्यापक दायरा, सामान्य नियम और शर्तें और अग्रिशमन पर्यवेक्षक, और अग्रिशमन कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश। • अनुलग्नक I से VI • भाग- II (वित्तीय बोली)
7. निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण, बोली-पूर्व बैठक	<p>7.1 इस दस्तावेज़ पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता रखने वाले निविदाकर्ता को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप में बैंक से संपर्क करना होगा या बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करनी होगी।</p> <p>बोली-पूर्व बैठक 04 मई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, चिंपू, ईटानगर-791111 में आयोजित की जाएगी। बोलीदाता इस दस्तावेज़ में दिए गए संपर्कों के अनुसार टेलीफोन पर या व्यक्तिगत रूप से भी मुद्दों को स्पष्ट कर सकते हैं।</p>
8. निविदा दस्तावेज में संशोधन	<p>8.1 निविदाएं जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in)/ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है।</p> <p>8.2 जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक हिस्सा होगा।</p> <p>8.3 भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में किसी भी / सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक पर, निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।</p>

c. निविदाएं तैयार करना

<p>9. निविदा की लागत</p>	<p>9.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा तैयार करने और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।</p>
<p>10. निविदा से जुड़े दस्तावेज</p>	<p>10.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>अ) निविदा आमंत्रित करने की सूचना</p> <p>आ) तकनीकी बोली विवरण</p> <p>इ) वित्तीय बोली विवरण</p> <p>ई) बयाना धन जमा: ₹95,004/- (अनुमानित लागत का 2%) खाता संख्या - 8692299 (Earnest Money Deposit), आईएफएससी- RBIS0GWPA01 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना है [एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में विक्रेता के नाम/कंपनी के नाम का उल्लेख करते हुए]। ईएमडी में कोई ब्याज नहीं होगा। यह ठेका दिए जाने के 10 कार्य दिवसों के भीतर असफल निविदाकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा। सफल निविदाकर्ताओं के मामले में, ईएमडी बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>उ) सफल निविदाकर्ताओं द्वारा संविदा प्रदान करने के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी</p> <p>ऊ) संविदा समझौता (सफल निविदाकर्ताओं द्वारा संविदा के आबंटन के बाद)।</p> <p>10.2 भाग - I - तकनीकी बोली</p> <p>क. सभी अनुभाग और अनुलग्नक तकनीकी बोली का हिस्सा हैं। कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग I (तकनीकी बोली) में इंगित नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली www.mstcecommerce.com/eproc को प्रस्तुत की जा सकती है।</p> <p>ख. वृत्तचित्र शोधपत्र का पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड अपलोड किया जाना चाहिए ऑनलाइन पर www.mstcecommerce.com/eproc</p> <p>ग. ईएमडी तकनीकी बोली का हिस्सा होगा।</p> <p>10.3 भाग - II – वित्तीय बोली</p> <p>क. बोली की मुद्रा: बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी जेब / जुटाने का खर्च, उपकरण, कार्यकर्ता की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (जीएसटी सहित), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर,) श्रम, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान आदि शामिल हैं। जैसा कि नियमों के अनुसार लागू होता है।</p> <p>ख. कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>

<p>11. निविदा सुरक्षा और लेनदेन शुल्क के रूप में ईएमडी</p>	<p>11.1 निविदाकर्ता ईएमडी जमा करेंगे ₹95,004/- (केवल पंचानबे हजार चार रुपये) केवल एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से और ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए लेनदेन शुल्क के पात्र होंगे। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>11.2 ईएमडी के बिना निविदाएं (यदि छूट नहीं दी गई है) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।</p> <p>11.3 लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।</p> <p>11.4 असफल निविदाकर्ताओं के ईएमडी को सफल बोलीदाता को काम सौंपने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छुट्टी/वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>11.5 सफल बोलीदाता का ईएमडी निविदा की शर्त के अनुसार बिना ब्याज के प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।</p>
<p>12. ईएमडी की जब्ती</p>	<p>12.1 ईएमडी को निम्नलिखित परिस्थितियों में जब्त कर लिया जाएगा:</p> <p>अ) प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करना, किसी भी भौतिक जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पैदा कर सकता था; या</p> <p>आ) निविदाकर्ता ने भाग II के कॉलम को खाली छोड़ दिया /वित्तीय बोली या कई वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की गई हैं।</p> <p>इ) यदि कोई निविदाकर्ता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, या</p> <p>ई) निविदाकर्ता को किसी भी सरकारी एजेंसी, पीएसयू द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है और ब्लैकलिस्टिंग अभी भी लागू है। सफल निविदाकर्ता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।</p>
<p>13. निविदा पत्र</p>	<p>13.1 निविदाकर्ता बिना किसी बदलाव के ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर वर्ग 3 का उपयोग करके निविदा जमा करेगा। सभी रिक्त स्थानों को मांगी गई जानकारी से भरा जाएगा।</p>
<p>14. निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़</p>	<p>14.1 अनुभाग- IV के अनुसार संविदा करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करेगा।</p>
<p>15. विभाग का दौरा</p>	<p>15.1 बोलीदाता को अग्रिम सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है, उसे सलाह दी जाती है कि वह परिचालन प्रणाली का दौरा करे और खुद को परिचित</p>

	करे। यात्रा का खर्च बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। यह माना जाएगा कि एजेंसी ने विभाग का दौरा किया है और निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले परिचालन स्थितियों से अवगत है।
16. निविदाओं की वैधता की अवधि	<p>16.1 निविदा की वैधता अवधि तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिन होगी।</p> <p>16.2 असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से उनकी निविदाओं की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।</p>
डी. निविदाएं जमा करना और खोलना	
17. निविदाओं को जमा करना और चिह्नित करना	<p>17.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।</p> <p>17.2 निविदाकार "तकनीकी बोली" (भाग- I) में दर्शाए गए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दर) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी। अपूर्ण निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।</p> <p>17.3 निविदाकर्ता लागत विश्लेषण में दर्शाए गए सभी घटकों को शामिल करते हुए दरों का उल्लेख करेंगे।</p> <p>17.4 यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।</p>
18. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि	<p>18.1 निविदाएं अवश्य होना भरा हुआ ऑनलाइन इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से, इस दस्तावेज में इंगित तिथि और समय के बाद नहीं।</p> <p>18.2 बैंक, अपने विवेक से, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।</p>
19. प्रति बोलीदाता एक बोली	19.1 प्रत्येक बोलीदाता या तो स्वयं या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में या कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता या संयुक्त उद्यम में कोई भागीदार या कंसोर्टियम के सदस्यों में से कोई एक एक एक से अधिक बोलियों में भाग लेता है, तो बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
20. देर से निविदाएं	20.1 पोर्टल पर समय सीमा के बाद किसी भी निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
21. निविदा उद्घाटन	21.1 बैंक अधिसूचित तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा (भाग- I)

	खोलेगा। भाग-II उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग-I में अर्हता प्राप्त करते हैं। भाग- II के खुलने की तिथि सफल बोलीदाताओं को उनके वैध ईमेल पते पर ईमेल द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
ई. निविदाओं की जांच	
22. गोपनीयता	22.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जब तक कि सभी निविदाकर्ताओं को संविदा आबंटन की जानकारी नहीं दी जाती है।
23. निविदाओं का स्पष्टीकरण	23.1 परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और निविदाकर्ताओं की योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा, या अनुमति दी जाएगी, सिवाय इसके कि निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि की जाए। 23.2 यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।
एफ. निविदा मूल्यांकन और तुलना	
24. निविदाओं का मूल्यांकन	24.1 बैंक धारा IV में दर्शाए गए मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग करेगा।
25. निविदाकर्ता की योग्यता	25.1 बैंक अपनी संतुष्टि के लिए यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकर्ता धारा IV के अनुसार अर्हक मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
26. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार	26.1 बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा आबंटन से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या उसका कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसके अलावा, सशर्त बोलियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।
G. संविदा का आबंटन	

<p>27. आबंटन मानदंड</p>	<p>27.1 बैंक धारा IV (मूल्यांकन मानदंड) में विस्तृत मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर निविदाकर्ता को शॉर्टलिस्ट करेगा।</p>
<p>28. आबंटन की अधिसूचना</p>	<p>28.1 निविदाकर्ता जो साइट विजिट मूल्यांकन सहित तकनीकी मूल्यांकन को अर्हता प्राप्त करता है और वित्तीय बोली में एल 1 है, उसे निविदा प्रदान की जाएगी।</p> <p>28.2 जब तक एक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक आबंटन की अधिसूचना एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी। सफल निविदाकर्ता कार्य सौंपने की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर पूरे कार्य को संभालने के लिए तैयार हो जाएगा।</p>
<p>29. संविदा पर हस्ताक्षर</p>	<p>29.1 सफल निविदाकर्ता कार्य प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक समझौते को निष्पादित करेगा। स्टॉप शुल्क एजेंसी द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य प्रदान करने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक समझौते को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी।</p>
<p>30. प्रदर्शन सुरक्षा</p>	<p>30.1 सफल निविदाकर्ता संविदा के साथ प्रदर्शन बैंक गारंटी (संविदा मूल्य का @ 5%) प्रस्तुत करेगा। पीबीजी संविदा की अवधि के बाद दो महीने के लिए वैध होगा।</p> <p>30.2 निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में सफल निविदाकर्ता की विफलता पंचाट को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे निविदाकर्ता को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार होगी।</p>

खंड - IV
मूल्यांकन / चयन मानदंड

मूल्यांकन मैट्रिक्स

1. सबसे पहले, भाग- I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकार मानक प्रारूप (तकनीकी बोली फॉर्म - 2) के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रस्तुत करेंगे।
2. तकनीकी मूल्यांकन के लिए संकेतित विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
3. बैंक पात्रता मानदंड के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेगा और तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए बैंकरों, मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया के साथ-साथ साइट के दौरे के निष्कर्षों का मूल्यांकन करेगा।
4. सभी तकनीकी रूप से योग्य फर्मों/एजेंसियों/बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोली जाएंगी। यह काम सबसे कम बोली लगाने वाली एल-1 एजेंसी को दिया जाएगा।

इसके अलावा, यदि दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की न्यूनतम निविदा राशि समान है (एक से अधिक बोलीदाता ने न्यूनतम दर का हवाला दिया), तो ऐसे सबसे कम बोलीदाताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार कुल 100 अंकों में से अंक दिए जाएंगे: -

क्र.सं.	मूल्यांकन पैरामीटर	निशान
1.	अग्निशमन सेवाओं के व्यवसाय में वर्षों की संख्या	अधिकतम 20 अंक
	(अ) 5 साल तक	10 अंक
	(आ) 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	15 अंक
	(इ) 10 वर्ष से अधिक	20 अंक
2.	एजेंसी (ईटानगर और पश्चिम बंगाल क्षेत्र) के पे-रोल पर वर्तमान में फायर सुपरवाइजर/फायरमैन के रूप में कार्यरत प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	अधिकतम 20 अंक
	(अ) 100 तक	07 अंक
	(आ) 100 से अधिक और 300 तक	10 अंक
	(इ) 300 से अधिक और 500 तक	15 अंक
	(ई) 500 से अधिक	20 अंक
3.	पिछले 3 वित्तीय वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25) के लिए औसत कारोबार	अधिकतम 20 अंक
	(अ) 02 करोड़ तक	10 अंक
	(आ) 02 करोड़ से अधिक और 05 करोड़ तक	15 अंक
	(इ) 05 करोड़ से अधिक	20 अंक
4.	पैनल में शामिल / सेवाएं प्रदान की गई (वर्तमान में)	अधिकतम 15 अंक
	(अ) भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई भी कार्यालय	15 अंक
	(आ) केंद्र सरकार का कोई भी संगठन	10 अंक
	(इ) राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/कंपनियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अन्य	05 अंक
5.	अग्निशमन अधिकारी/फायरमैन के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा	अधिकतम 15 अंक
	(अ) स्वयं की सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	15 अंक

	(आ) अन्य संस्थान/प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ समझौता ज्ञापन	10 अंक
6.	गुणवत्ता संबंधी अंक	अधिकतम 10 अंक
	(अ) आईएसओ (5 वर्ष से कम)	05 अंक
	(आ) आईएसओ (5 वर्ष से अधिक)	10 अंक

4. न्यूनतम योग्यता अंक 40 है



भाग I भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, आईटीएनगर
(नियम और शर्तें और तकनीकी विनिर्देश)

के लिए ई-निविदा
ईटानगर में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए
प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा संविदा

खंड - V

काम का व्यापक दायरा

- सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी तीन फायर सुपरवाइजर और छह फायरमैन प्रदान करेगी। बैंक काम देने से पहले या संविदा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- तैनात कर्मचारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे: -
 - अग्नि नियंत्रण कक्ष की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।
 - आ. निर्धारित समय-समय पर सेवाक्षमता के लिए सभी अग्नि उपकरणों की जाँच करें।
 - इ. सभी अग्निशमन उपकरणों के एएमसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करें।
 - ई. अग्निशमन के संबंध में बैंक कर्मचारियों का आवधिक प्रशिक्षण आयोजित करना।
 - उ. प्रारंभिक चरण में आग से लड़ें, और जब भी वे पहुंचें तो फायर ब्रिगेड की सहायता करें।
 - ऊ. नियमित अग्निशमन अभ्यास करें।
 - ऋ. कार्य और प्रशासन के सभी पहलुओं पर अग्नि के प्रभारी सुरक्षा प्रबंधक के तहत कार्य करें।
 - ल. आग के खतरों की पहचान करने के लिए पूरे परिसर का नियमित निरीक्षण करना और आग और भवन संहिता के उल्लंघनों से बचाव के लिए कदम उठाना।
 - एँ. सभी भागने के मार्गों और फायर लेन की प्रतिदिन जाँच करें और सुनिश्चित करें कि वे बाधाओं से मुक्त हैं।
 - ऐ. किसी घटना की स्थिति में खोज और बचाव और बचाव अभियान में सहायता करना।
 - ए. नवीनतम अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान को अद्यतन करें और अग्निशमन सेवाओं में वर्तमान विकास से अवगत रहें।
 - ऐ. कोई अन्य कार्य जैसा कि बैंक के सुरक्षा प्रभारी द्वारा सौंपा गया हो।
 - ऑ. स्थानीय फायर ब्रिगेड प्रतिष्ठानों के साथ प्रभावी और घनिष्ठ संपर्क और फायर ब्रिगेड को फायर हॉटलाइन की दैनिक जांच।
- सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी आठ घंटे की शिफ्ट में एक फायर सुपरवाइजर और तीन फायरमैन तैनात करेगी और तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम करेगी (सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक, दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) अग्निशमन, अग्नि सुरक्षा, फायर कंसोल रूम का संचालन करना, फायर अलार्म जैसे अग्नि सुरक्षा उपकरण रखना और बनाए रखना। अग्निशामक, हाइड्रेंट, वेट/ड्राई रिसर सिस्टम, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/आगंतुकों की सहायता, सामान्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, स्थानीय फायर ब्रिगेड के साथ संपर्क।
- सौंपे गए कार्य को करने के लिए, सफल निविदाकर्ता / ठेकेदार / फर्म / कंपनी / एजेंसी चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से फिट प्रशिक्षित कर्मियों (45 वर्ष से कम आयु के फायरमैन और 55 वर्ष से कम आयु के फायर सुपरवाइजर) को तैनात करेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्ति समय के पाबंद और अनुशासित हों और अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में सतर्क रहें। सफल निविदाकर्ता / ठेकेदार / फर्म / कंपनी / एजेंसी द्वारा इस तरह से लगे हुए व्यक्तियों को उच्च अखंडता और अच्छे आचरण के ठीक से प्रशिक्षित फायरमैन होंगे और हिंदी और अंग्रेजी में पूरी तरह से बातचीत करेंगे।
- प्रदान किए गए फायर सुपरवाइजर को **सरकार / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 06 (छह) महीने की अवधि के अग्निशमन में डिप्लोमा कोर्स** से गुजरना चाहिए और पर्याप्त (न्यूनतम 3 वर्ष) अनुभव होना चाहिए और फायरमैन स्टाफ प्रदान किया जाना चाहिए जो सरकार / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 06 (छह) महीने की अवधि के अग्निशमन में एक बुनियादी पाठ्यक्रम से गुजरना

चाहिए और पर्याप्त (न्यूनतम 1 वर्ष) होना चाहिए हवाई अड्डों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र की अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों आदि जैसे संगठनों में समान क्षमता में काम करते हुए प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशमन कार्यों सहित अग्नि सुरक्षा उपायों में अनुभव।

6. ऊपर उल्लिखित सेवाओं के लिए अग्नि सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्ति सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अग्नि सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी होंगे और इस प्रकार तैनात व्यक्ति अग्नि सुरक्षा एजेंसी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे और किसी भी स्थिति में, उक्त व्यक्तियों और बैंक के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से अर्जित नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना अग्नि सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा तैनात श्रमिकों के संबंध में इस संबंध में बैंक पर कोई दायित्व न आए।
7. सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी संभालने के बाद, अग्नि सुरक्षा एजेंसी महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर या उसके नामित व्यक्ति के परामर्श से अपने कर्मियों को काम के उचित समनुदेशन के लिए तंत्र तैयार करेगी। तत्पश्चात, अग्नि सुरक्षा एजेंसी समय-समय पर सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करेगी और महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को उनकी प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सलाह देगी। अग्नि सुरक्षा एजेंसी इस संबंध में समय-समय पर महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर या महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों/निर्देशों से बाध्य होगी और उनका पालन करेगी।
8. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी आठ घंटे की शिफ्ट में एक (01) फायर सुपरवाइजर और दो (02) फायरमैन तैनात करेगी और ईटानगर में आरबीआई के कार्यालय परिसर में तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम करना चाहिए।
9. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात फायरमैन के पास कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। तैनात कर्मियों की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
10. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी तैनात कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में रिलीवर/लीव रिज़र्व का प्रावधान करेगी, जिनके पास अग्निशमन में पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए।
11. एजेंसी द्वारा तैनात अग्निशमन कर्मचारियों को बिना किसी असफलता के हर छह महीने में बैंक से घुमाया जाना चाहिए। एजेंसी छह महीने के नियमित अंतराल पर गार्डों का नियमित रोटेशन सुनिश्चित करेगी। बैंक में लगातार 179 दिनों से अधिक समय तक कोई गार्ड तैनात नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एजेंसी 24 घंटे की अवधि में 01 शिफ्ट से अधिक के लिए किसी भी गार्ड को तैनात नहीं करेगी।
12. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अग्निशमन कर्मचारियों के समग्र प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए एक अनुभवी अग्निशमन पर्यवेक्षक को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, यानी एजेंसी द्वारा तैनात फायरमैन और अग्निशमन प्रणाली के रखरखाव और रख-रखाव के लिए।
13. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि दो फायरमैन हमेशा बैंकों के कार्यालय परिसर में चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहें, इस शर्त के अधीन कि अग्निशमन कर्मचारी लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी पर न हों और प्रत्येक शिफ्ट में नई जनशक्ति प्रदान की जाएगी। एजेंसी शिफ्ट शुरू होने से आधे घंटे के भीतर उसके द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी अग्निशमन कर्मचारी की अनुपस्थिति की स्थिति में समान रूप से प्रशिक्षित और योग्य अग्निशमन कर्मचारियों के लिए स्थानापन्न व्यवस्था करेगी।
14. अग्निशमन कर्मचारी अपनी शिफ्ट ड्यूटी शुरू करने से पहले और ड्यूटी पर मौजूद वर्तमान अग्निशमन कर्मचारियों को छुट्टी देने से पहले और नियमित अंतराल पर और अपनी शिफ्ट ड्यूटी पूरी करने से पहले

अग्निशमन व्यवस्था की जांच करने के लिए बैंक के परिसर का चक्कर लगाएंगे और उनके कामकाज की जांच करेंगे। अग्निशमन उपकरणों की सेवाक्षमता के रिकॉर्ड के साथ-साथ शिफ्ट परिवर्तन पर उचित रूप से सौंपना/संभालना बनाए रखा जाएगा और दैनिक आधार पर सुरक्षा अधिकारी को सौंपा जाएगा।

15. बीमारी/अन्य कारणों से जनशक्ति की किसी भी कमी को तदर्थ आधार पर सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा पूरा किया जाएगा।
16. अग्नि नियंत्रण कक्ष की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। अग्निशमन पर कर्मचारियों का आवधिक प्रशिक्षण आयोजित करना। निर्धारित आवधिकता के अनुसार सेवाक्षमता के लिए सभी अग्नि उपकरणों की जाँच करें। फायर अलार्म सिस्टम, वेट रिसर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट और अग्निशमन यंत्र और आग से संबंधित अन्य उपकरणों सहित उक्त परिसर के संबंध में सभी अग्निशमन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार।
17. सुनिश्चित करें कि हाइड्रेंट सिस्टम की आरक्षित पानी की टंकी हर समय भरी हुई है। सभी अग्निशमन उपकरणों के एएमसी के तहत किए गए कार्यों की निगरानी करें।
18. प्रारंभिक चरण में आग से लड़ें और जब भी वे पहुंचें तो फायर ब्रिगेड की सहायता करें। आग लगने की स्थिति में, कर्मचारियों की सहायता करें और आग बुझाने और परिसर/भवन में रहने वालों को निकालने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें।
19. कार्य और प्रशासन के सभी पहलुओं पर बैंक के सुरक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करना।
20. नियमित रूप से अग्निशमन अभ्यास आयोजित करें और निकासी कुर्सियों का उपयोग करके अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों की निकासी को शामिल करने के लिए बैंक के आपदा निकासी मॉक ड्रिल के दौरान सहायता करें।
21. आग के खतरों की पहचान करने के लिए पूरे परिसर में नियमित गश्त लगाना और आग और भवन संहिता के उल्लंघनों से बचाव के लिए हटाना/कदम उठाना। सभी भागने के मार्गों और फायर लेन की प्रतिदिन जाँच करें और सुनिश्चित करें कि वे बाधाओं से मुक्त हैं।
22. किसी घटना के मामले में खोज, बचाव और बचाव अभियान में सहायता करना।
23. नवीनतम अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान को अद्यतन करें और अग्निशमन सेवाओं में वर्तमान विकास से अवगत रहें।
24. स्थानीय फायर ब्रिगेड प्रतिष्ठानों के साथ प्रभावी और घनिष्ठ संपर्क और फायर ऑडिट में सहायता करना, जब भी किया जाता है।
25. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के अग्निशमन कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारी से दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।
26. सफल निविदाकर्ता / ठेकेदार / फर्म / कंपनी / एजेंसी के फायर स्टाफ बैंक के सुरक्षा प्रबंधक द्वारा तैयार विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं और फायर ऑर्डर के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेंगे।
27. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के परिसर में लगे अग्निशमन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रबंधक या जीएम (ओआईसी) द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए।

28. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के अग्रिशमन कर्मचारी हर साल इस कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों को अपने खर्च पर दो जोड़ी वर्दी (अधिमानत: नारंगी रंग की डंगरी) प्रदान करेंगे। वर्दी में शामिल होंगे:
- i. शिलालेख "अग्रिशमन कर्मचारी" और ठेकेदार के लोगो के साथ फुल स्लीव डंगरीज़
 - ii. फायर रेटेड सुरक्षा जूते;
 - iii. मोजे, आग रेटेड दस्ताने;
 - iv. सर्दियों के लिए जर्सी/स्वेटर/जैकेट शिलालेख "अग्रिशमन कर्मचारी" और ठेकेदार के लोगो के साथ और
 - v. बरसात के मौसम के लिए रेनकोट/छाता

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर का इस मामले में कोई दायित्व नहीं होगा। वर्दी को बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अग्निशमन पर्यवेक्षक और अग्निशमन कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को सलाह दी जाती है कि वे काम की मात्रा का आकलन करने के लिए अपनी दरों का उल्लेख करने से पहले साइट का दौरा करें। ऊपर उल्लिखित कार्य के दायरे के अलावा, निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

कार्यात्मक आवश्यकताएं

1. घटनाओं के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया: अलार्म की प्राप्ति और प्रारंभिक अग्निशमन या आपातकालीन दृश्य गतिविधियों के बीच होने वाले कार्य।
 - (अ) प्राप्त अलार्म जानकारी (जैसे, अलार्म प्रकार, संरचना प्रकार, आदि) के आधार पर घटना का प्रारंभिक मूल्यांकन करता है।
 - (आ) सेवाओं के लिए कॉल प्राप्त होने पर सौंपे गए उपकरण को प्राप्त करने के लिए आय।
 - (इ) आपातकालीन दृश्यों से पहले और वहां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनता है।
2. कर्तव्यों पर नज़र रखें: आने वाले अलार्म और जानकारी प्राप्त करने के लिए खड़े होकर, फोन का जवाब देता है, और एक्सेस की निगरानी करता है।
 - (अ) अलार्म, कई अलार्म, ईएमएस अलार्म और अन्य महत्वपूर्ण आपात स्थितियों की सूचना प्राप्त करता है।
 - (आ) यदि आवश्यक हो, तो स्टेशन कर्मियों (सार्वजनिक पते पर या संकेतों के उपयोग के माध्यम से) को आने वाले अलार्म और आवश्यक प्रतिक्रिया के बारे में सूचित करता है (उदाहरण के लिए, हर कोई जाता है, केवल ट्रक, केवल इंजन, आदि)
 - (इ) यदि आवश्यक हो, तो उत्तर विभाग और बाहरी फोन।
3. दृश्य संचार पर: उपकरण और कर्मियों के उचित समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन स्थल पर संचार करता है।
 - (अ) आपातकालीन दृश्य पर पहुंचने पर कमांड में अधिकारी से जानकारी (उदाहरण के लिए, कर्मियों और उपकरण के असाइनमेंट के संबंध में) प्राप्त करता है।
 - (आ) आपातकालीन स्थल पर अन्य अग्निशमन कर्मियों के साथ स्थितियों, आकार बढ़ाने आदि के बारे में संवाद करता है।
 - (इ) आपातकालीन दृश्य पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश रिले करता है।
4. पंप संचालन: फायर हाइड्रेंट के लिए उपकरण को जोड़ता है या हुक करता है और कपलिंग, होसेस, स्पैनर रिच और अन्य उपकरणों का उपयोग करके उचित दबाव और मात्रा में पानी की आपूर्ति करने के लिए पंप संचालित करता है।
 - (अ) यह सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रेंट को खोलता और फ्लश करता है कि यह कार्यात्मक है।
 - (आ) हाइड्रेंट दबाव से नली को पानी से भरता है।
 - (इ) पंपों को संलग्न करता है।
 - (ई) नियंत्रण कक्ष (जैसे, पानी का तापमान, तेल दबाव नापने का यंत्र, ईंधन गेज, हाइड्रेंट दबाव) पर नज़र रखता है।
 - (उ) आपूर्ति से उपकरण तक आपूर्ति लाइन को जोड़ता है और बिछाता है।
 - (ऊ) पंपिंग करते समय होने वाली किसी भी समस्या के अधिकारी को सूचित करता है।
 - (ऋ) अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर पंप बंद कर देता है।

5. दस्तावेज़ीकरण

नियोजित फायरमैन को पता होना चाहिए कि फायर सुपरवाइजर की देखरेख में बुनियादी दस्तावेजों का रखरखाव कैसे किया जाए। यदि आवश्यक हो तो फायरमैन को अग्नि, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों/उपकरणों को एक व्यक्ति/स्थान से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने के लिए तुरंत एक धावक के रूप में कार्य करना चाहिए। फायरमैन को स्पोकन इंग्लिश और हिंदी में पारंगत होना चाहिए।

6. नली (और बुझाने वाला) संचालन: आपातकालीन दृश्य में पानी, फोम और अन्य बुझाने वाले एजेंटों को पहुंचाने के लिए अग्निशामक रेखा को फैलाता है या उसका उपयोग करता है।

(अ) ऑपरेशन के लिए आवश्यक नली के प्रकार (आकार) और लंबाई की संख्या निर्धारित करता है।

(आ) नली के बिस्तर से नली को बाहर निकालता है।

(इ) उचित नोजल और नोजल सेटिंग निर्धारित करता है।

(ई) नली लाइनों को नोजल से जोड़ता है।

(उ) आवश्यक/उपयुक्त होने पर स्टैंडपाइप से जुड़ता है।

(ऊ) उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार्ज करने से पहले या बुझाने के दौरान नली लाइन को बाहर निकालता है।

(ऋ) धुएं, ध्वनि, आग की लपटों, गैस, वाष्प आदि को देखकर, सूंघकर या सुनकर आग या अन्य खतरे (जैसे, गैस रिसाव) की सीट का पता लगाता है।

(ॠ) बुझाने, रोकने और/या घटना को नियंत्रित करने के लिए अग्निशामक का उपयोग करता है।

7. मैनुअल सीढ़ी संचालन: खोज, बचाव और अन्य कार्यों को करने के लिए मैनुअल सीढ़ियों को ले जाता है, उठाता है, फैलाता है और चढ़ता है।

(अ) घटना स्थल पर आवश्यक मैनुअल सीढ़ी प्रकार और आकार निर्धारित करता है।

(आ) घटनास्थल पर मैनुअल सीढ़ी का उचित स्थान निर्धारित करता है।

(इ) घटना स्थल पर मैनुअल सीढ़ी उठाता है और रखता है।

(ई) एंकर और दृश्य पर मैनुअल सीढ़ी (यानी बांधना) को सुरक्षित करता है।

(उ) खोज, बचाव और अन्य अभियान चलाने के लिए मैनुअल सीढ़ी पर चढ़ता है।

8. शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/ग्राहकों को सहायता।

यदि आवश्यक हो, तो आपातकालीन स्थिति में शामिल नहीं होने पर ऊ्यूटी पर मौजूद फायरमैन को शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/ग्राहकों की मदद और सहायता करनी चाहिए।

9. जबरन प्रवेश (यदि आवश्यक हो): पीड़ितों को खोजने और बचाव करने के लिए और आपातकालीन दृश्य तक पहुंच प्रदान करने के लिए संरचनाओं, वाहनों, विमानों और अन्य फंसाने में प्रवेश करता है, दरवाजे खोलता है, काटता है, या तोड़ता है, या अन्यथा संरचनाओं, वाहनों, विमानों और अन्य फंसाने में प्रवेश करता है - कुल्हाड़ियों, हॉलिंगन उपकरणों, हुक, खरगोश के उपकरण, बैटरिंग मेढ़े, स्लेज हथौड़ों, पावर आरी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके।

(अ) जबरन प्रवेश के लिए सबसे अच्छा स्थान निर्धारित करता है।

(आ) यदि आवश्यक हो, तो बिजली आरी और अन्य बिजली उपकरणों का उपयोग करके सतहों को काटता है।

(इ) कुल्हाड़ियों, स्लेज हथौड़ों, बैटरिंग मेढ़ों, हॉलिंगन उपकरण और अन्य जबरन प्रवेश उपकरणों का उपयोग करके संरचनाओं में प्रवेश प्राप्त करता है।

(ई) प्राइ बार, हॉलिंगन टूल्स, बोल्ट कटर और अन्य उपकरणों का उपयोग करके संरचनाओं में दरवाजे

खोलते हैं।

(उ) स्लेजहैमर, बैटरिंग मेट्टे, कुल्हाड़ियों या अन्य जबरन प्रवेश उपकरणों का उपयोग करके दरवाजों से ताले या टिका हटाता है।

10. वेंटिलेशन: खिड़कियां खोलता है या तोड़ता है, छतों में छेद काटता है या काटता है, दीवारों या दरवाजों को तोड़ता है, और खिड़कियों या दरवाजों में कोहरे की धारा को फैलाता है या संरचनाओं या फंसाने से गर्मी, धुएं और / या गैस को हटाने के लिए खिड़कियों या दरवाजों में पंखे लटकाता है।

(अ) खतरे और अग्निशमन कर्मियों के स्थान, छत के प्रकार और भवन निर्माण के आधार पर वेंटिंग संरचना के लिए सबसे अच्छा स्थान निर्धारित करता है।

(आ) विंडोज़ और प्रवेश के अन्य बिंदुओं को मैनुअल रूप से या pry bars, Halligan उपकरण, और अन्य उपकरणों का उपयोग करके, संरचना को हवादार करने के लिए खोलता है।

(इ) संरचना को हवादार करने के लिए कुल्हाड़ियों, सीढ़ी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके खिड़कियों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं को तोड़ता है।

(ई) संरचना को हवादार करने के लिए खुली दीवारों, छत और अन्य संरचनाओं को काटता है।

(उ) सकारात्मक और नकारात्मक दबाव के लिए प्रशंसकों का उपयोग करता है।

11. खोज: पीड़ितों का पता लगाने और मानक खोज प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सौंपे गए क्षेत्र की खोज करता है।

(अ) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक खोज प्रक्रिया या रणनीति निर्धारित करता है।

(आ) आग की सीट, या अन्य खतरे, और एक्सटेंशन के लिए संरचनाओं की खोज करता है।

(इ) सचेत और बेहोश पीड़ितों के लिए फर्श या आग के क्षेत्र, या अन्य खतरे की खोज करता है, हाथ, पैर या उपकरणों के साथ असाइन किए गए खोज क्षेत्र को व्यापक बनाता है।

(ई) कर्मियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक टीम/कंपनी के रूप में मिलकर काम करें।

12. बचाव: आंतरिक पहुंच (सीढ़ियों, हॉलवे, आदि) के माध्यम से या यदि आवश्यक हो, तो सीढ़ी, आग से बचने, या बचाव हार्नेस, रस्सियों, बैकबोर्ड और अन्य उपकरणों का उपयोग करके भागने के अन्य साधनों के माध्यम से आपातकालीन क्षेत्र से पीड़ितों को सहायता करता है, फहराता है, ले जाता है या खींचता है। फावड़े, मशाल, ड्रिल, प्राइ बार, आरी, जैक, जबड़े, एयर बैग और अन्य उपकरणों का उपयोग करके जीवन बचाने के लिए वाहनों, विमानों, गुफाओं, ढह गई इमारतों या अन्य फंसों से पीड़ितों को निकालता है।

(अ) आग लगने, विस्फोट, खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने आदि के जोखिम के कारण व्यक्तियों को घटना स्थल से निकालता है।

(आ) रस्सियों, गांठों और बचाव हार्नेस का उपयोग करके पीड़ितों या अग्निशमन कर्मियों को फहराता है या नीचे करता है।

(इ) आपातकालीन दृश्यों से पीड़ितों को खींचता है या ले जाता है।

(ई) पीड़ितों को स्ट्रेचर, बैकबोर्ड, टोकरियों आदि पर रखता है।

(उ) फावड़े, पिक्स, हुकुम और अन्य उपकरणों का उपयोग करके सुरंगों, पाइप, खुदाई, गुफाओं या अन्य फंसने में फंसे पीड़ितों को मुक्त करने के लिए खुदाई करता है।

(ऊ) स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार जल बचाव (यानी, नदी बचाव, नावों का उपयोग करके) आयोजित करता है।

(ऋ) यदि आवश्यक हो, तो जीवन रक्षक तकनीकों का उपयोग करके डूबते पीड़ितों को बचाता है।

13. बचाव: फर्नीचर, उपकरण, माल और अन्य संपत्ति को स्थानांतरित करता है और कवर करता है; संरचनाओं में छेद को कवर करता है; क्षतिग्रस्त संरचनात्मक घटकों को स्थिर करता है; तथा

प्लास्टिक और कैनवास कवर, रस्सियों, स्टेपल गन, मोप्स, स्क्रीजीज़ और अन्य उपकरणों का उपयोग करके नुकसान को कम करने के लिए पानी को पुनर्निर्देशित या साफ करता है।

(अ) संपत्ति पर बचाव कवर फैलाता है।

(आ) पानी या अन्य क्षति से बचाने के लिए फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित करता है।

(इ) हुक, कुल्हाड़ियों, आरी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके कमजोर और खतरनाक संरचनात्मक घटकों (जैसे, फर्श, दीवारों, छत, ओवरहैंग और सीढ़ियों) को फाड़ देता है।

14. ओवरहाल: दीवारों और छत को खोलता है, फर्श को काटता है या खींचता है और छिपी हुई फाइलों की जांच करने के लिए मलबे को स्थानांतरित करता है या बदल देता है जो हुक, कुल्हाड़ियों, आरी और पिचफोर्क का उपयोग करके फिर से जागृत या फैल सकता है।

(अ) आग के विस्तार के लिए खुले क्षेत्रों, दीवारों, खुली संरचनाओं की जांच और खोज करता है।

(आ) आग और धुएं को देखकर, महसूस करके या सूंघकर किसी भी छिपी हुई आग को खोजता है और बुझाता है।

(इ) गर्म स्थानों और अन्य खतरनाक स्थितियों को उजागर करने के लिए कुल्हाड़ियों, पाइक पोल/सीलिंग हुक आदि के साथ छत, दीवारें आदि खोलती हैं।

(ई) इमारतों से जले हुए या सुलगते मलबे को हटाता है और बुझाता है।

15. सफ़ाई/उठाना: उपकरण उठाता है, साफ करता है और वाहन को लौटाता है और नली को रोल या फोल्ड करता है, ताकि कंपनी सेवा में वापस जा सके।

(अ) संरचनाओं से बाहर लाइनों का समर्थन करता है।

(आ) उपयोग के बाद होसेस को रोल और होल्ड करता है और उन्हें उपयुक्त वाहन में लौटाता है।

(इ) यह निर्धारित करता है कि घटना की प्रतिक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी होज़ मौजूद हैं और उनका हिसाब है।

(ई) सभी उपकरणों, उपकरणों, आपूर्ति और संपत्ति को उपयोग करने योग्य स्थिति में उपयुक्त वाहनों को साफ और लौटाता है।

5. उपकरण को साफ करता है।

16. आपातकालीन चिकित्सा देखभाल: पूरी तरह से रोगी मूल्यांकन करता है और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल में हस्तक्षेप करता है और/या चिकित्सा देखभाल के साथ सहायता का अनुरोध करता है।

(अ) चिकित्सा और/या चोट के अनुसार रोगी का आकलन करें और उसे प्राथमिकता दें।

(आ) ऑक्सीजन थेरेपी या सहायक वेंटिलेशन के साथ हस्तक्षेप करता है, जब उपयुक्त हो तो ऑक्सीजन सहायक का उपयोग करता है।

(इ) जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले रक्तस्राव की पहचान करता है और उचित हस्तक्षेप करता है।

(ई) नाड़ी कम, एपनिक रोगी की पहचान करता है और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का प्रबंधन करता है।

(उ) मौखिक और दर्दनाक उत्तेजनाओं के लिए रोगी की प्रतिक्रिया के आधार पर रोगी की प्रतिक्रिया (जागृत, सतर्क और उन्मुख बनाम अनुत्तरदायी) का मूल्यांकन करता है।

(ऊ) यह निर्धारित करता है कि रोगियों को आपातकालीन या गैर-आकस्मिक परिवहन की आवश्यकता है या नहीं।

(ऋ) रोगी की भलाई को भावनात्मक और शारीरिक रूप से बनाए रखने के लिए काम करता है।

(ॠ) घड़ी, स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करता है।

17. उपकरण रखरखाव: उचित और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम, अग्निशामक यंत्र सहित व्यक्तिगत गियर और उपकरणों की जांच, सफाई और रखरखाव करता है।

(अ) अग्निशामक यंत्रों का दृश्य निरीक्षण

(आ) उपकरण पर या उसके पास टर्नआउट गियर रखता है।

(इ) अग्निशामक यंत्रों की जांच और वजन

(ई) चिकित्सा उपकरणों की जांच करता है।

(उ) जनरेटर, ब्लोअर, लाइट, डोरियों और पंखों की स्थिति की जांच करता है।

(ऊ) उपकरण (उचित बिस्तर और मात्रा) पर नली की जांच करता है।

(ऋ) बिजली उपकरणों की जांच और रखरखाव करता है।

(ऌ) अन्य पोर्टेबल उपकरणों की जांच करता है और सामान्य रखरखाव करता है (उदाहरण के लिए, तेल के स्तर, ग्रीस आदि की जांच करता है)।

(एँ) उपकरण और आपूर्ति में परिवर्तन एक उपकरण से दूसरे उपकरण में।

18. उपकरण रखरखाव: उचित और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपकरण की जांच, सफाई और रखरखाव करता है।

(अ) सामान्य दैनिक उपकरण की जांच करता है (जैसे, तेल, ईंधन और पानी का स्तर; उचित दबाव और स्नेहन; बैटरी; रोशनी; सायरन; ब्रेक; टायर; आदि)।

(आ) सामान्य साप्ताहिक उपकरण की जांच करता है (जैसे, हाइड्रोलिक द्रव स्तर)।

(इ) पानी पंप करने के लिए इंजन की क्षमता की जांच करता है।

(ई) इंजन पम्पर दबाव की जांच करता है।

(उ) उपकरण पर विद्युत या यांत्रिक समस्याओं के अधिकारी को सूचित करता है।

(ऊ) उपकरण पर आवश्यक मरम्मत के अधिकारी को सूचित करें।

(ऋ) अधिकारी को सूचित करें कि यांत्रिक समस्या के कारण उपकरण को सेवा से बाहर रखने की आवश्यकता है।

(ऌ) बाहर से सभी अग्निशामक यंत्रों को साफ करें और दबाव नापने का यंत्र से दबाव की जांच करें, दबाव में गिरावट के मामले में अधिकारी को सूचित करें।

19. स्टेशन का रखरखाव और कर्तव्य: घर की सुविधाओं की जांच, सफाई और रखरखाव करता है। इसमें नियमित गृहकार्य का प्रदर्शन शामिल है।

(अ) उपकरण बे और कमरों को साफ करता है।

(आ) फायर हाउस यार्ड को साफ और बनाए रखता है।

(नीचे दिए गए बिंदु केवल फायर सुपरवाइजर के लिए हैं)

20. इमारतों और अग्नि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण: निरीक्षण

समय-समय पर या उनकी गतिविधियों के दौरान आग की रोकथाम/खतरनाक सामग्री कोड के उल्लंघन या खतरों के लिए भवन। परिचालन उपयोग के लिए अलार्म, हाइड्रेंट, स्पिंकलर सिस्टम और स्टैंडपाइप सिस्टम का निरीक्षण करता है।

(अ) आग के खतरों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए पूरे परिसर का नियमित रूप से निरीक्षण करना/आग और बिल्डिंग कोड के उल्लंघन से बचाव के लिए कदम उठाना।

(आ) रहने वालों/मालिकों के अनुरोध पर भवनों का निरीक्षण करता है

(इ) कोड का उल्लंघन करने के संदेह वाली इमारतों की जांच करता है।

(ई) कोड उल्लंघनों को पहचानता है (जैसे अवरुद्ध निकास, रसायनों का अनुचित भंडारण आदि)।

21. जनसंपर्क: उन गतिविधियों में संलग्न होता है जिनका कर्मचारियों में विभाग की छवि पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह की गतिविधियों में कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करना, सहायता या सूचना मांगने वाले कर्मचारियों को सहायता और सहायता प्रदान करना और सामुदायिक समूहों और भारतीय रिज़र्व बैंक बिरादरी के अन्य सदस्यों को प्रस्तुतियां देना शामिल है।

(अ) आपातकालीन दृश्य पर व्यथित व्यक्तियों से निपटता है।

(आ) फायर स्टेशन में अधिकारियों से मिलता है, पर्यटन करता है और जानकारी प्रदान करता है।

(इ) सेवा चलाने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करता है।

(ई) सार्वजनिक प्रस्तुतियाँ देता है और विभाग की ओर से उपकरण और उपकरणों का प्रदर्शन करता है।

22. प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास: नौकरी से संबंधित कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण अभ्यास और कक्षाओं में भाग लेता है। विभागीय संचालन और प्रक्रियाओं में नए विकास से अवगत कराने के लिए आंतरिक मेमो और बुलेटिन पढ़ता है। व्याख्यान, सेमिनार, पाठ्यक्रम आदि में भाग लेता है और अग्निशमन सेवा में वर्तमान रहने के लिए बाहरी दस्तावेजों (जैसे पेशेवर व्यापार प्रकाशन) को पढ़ता है।

(अ) नवीनतम अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों का ज्ञान रखता है।

(आ) अग्नि नियंत्रण से संबंधित भवन संरचनाओं का बुनियादी ज्ञान रखता है।

(इ) रसायनों और अन्य खतरनाक सामग्रियों का बुनियादी ज्ञान बनाए रखता है।

(ई) नियमित प्रशिक्षण अभ्यास और सत्रों में भाग लेता है और प्रदान करता है।

(उ) शारीरिक फिटनेस सत्रों में देता है और भाग लेता है।

(ऊ) विशेष प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेता है (जैसे सीपीआर प्रमाणन, विशेष स्कूल, आदि)

(ऋ) विभागीय अपडेट से अवगत रहने के लिए आंतरिक अग्निशमन विभाग के बुलेटिन, मेमो आदि की समीक्षा की।

(लृ) अग्निशमन सेवा में वर्तमान विकास के बारे में जागरूक होने और वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए पेशेवर पत्रिकाओं और प्रकाशनों (जैसे फायर कमांड) को पढ़ता है

23. प्रलेखन: अग्नि पर्यवेक्षक को आग से संबंधित मामलों से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज़ प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। उसे कंप्यूटर के उपयोग में पारंगत होना चाहिए। उसे स्पोकन और लिखित हिंदी और अंग्रेजी में धाराप्रवाह होना चाहिए।

24. ऐसे अन्य आकस्मिक/संबंधित कार्य जो अग्निशमन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

सामान्य नियम और शर्तें

एक. एजेंसी और बैंक के बीच करार: सफल बोलीदाता/एजेंसी आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार, उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर डुप्लीकेट में एक करार निष्पादित करेगी, और सभी व्यय एजेंसी द्वारा देय होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक और एजेंसी दोनों द्वारा बनाए रखे जाने वाले करार की एक-एक प्रति

दो. वेतन संरचना: अग्रिशमन कर्मचारियों का वेतन ढांचा "क्षेत्र सी" के लिए निगरानी और वार्ड (हथियारों के बिना) के लिए केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम सिफारिश के अनुसार होगा या ईएसएम के लिए डीजीआर मजदूरी दर, जैसा भी लागू हो।

अ) उद्धृत सेवा शुल्क एजेंसी के लाभ और ओवरहेड, बीमा और सभी करों (जीएसटी सहित) की लागत को कवर करेगा। बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद उस पर भुगतान किया जाएगा कि सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई हैं और सभी सांविधिक देयकाओं/करों आदि में कटौती करने के बाद।

आ) उद्धृत सेवा शुल्क निश्चित होगा और शर्तों, विनियम भिन्नताओं या किसी भी अन्य शर्त के अधीन नहीं होगा। एजेंसी उनके द्वारा नियोजित कार्यबल को सांविधिक केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी, इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए दर उद्धृत की जानी चाहिए। केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी से कम 'उद्धृत दरों' वाली निविदाओं को अस्वीकार किया जाना तय है।

इ) उद्धृत सेवा प्रभार में बीमा प्रभार (कामगार मुआवजा और तृतीय-पक्ष देयता), और केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी लागू मौजूदा या भविष्य के कर भी शामिल होंगे।

ई) बैंक केंद्र सरकार (केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी) द्वारा अनुशंसित वेतन संरचना में परिवर्तन पर विचार करेगा यदि संविदा की अवधि के दौरान प्रकाशित किया जाता है। एजेंसी को इस संबंध में केंद्र सरकार की वैध अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।

तीन. बीमा: एजेंसी को बैंक का काम करते समय अग्रिशमन कर्मचारियों द्वारा होने वाली व्यक्तिगत चोटों के खिलाफ बीमा कवर (वर्कमैन मुआवजा पॉलिसी और तृतीय-पक्ष देयता) लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के साथ समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर को जीवित रखा जाए। एजेंसी बैंक को बीमा कवर (संपूर्ण संविदा अवधि के लिए वैध) की एक प्रति प्रदान करेगी। यदि सफल निविदाकर्ता इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और सफल निविदाकर्ता के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी अग्रिशमन कर्मचारी की मृत्यु या चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो उनके कर्तव्यों और तैनाती के दौरान उत्पन्न हो सकता है। यह सहमति और समझी जाती है कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अकेले ऐसे अग्रिशमन कर्मचारियों को इस तरह के नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

चार. भुगतान की शर्तें: उद्धृत शुल्क तैनात जनशक्ति की सेवाओं की लागत को कवर करेंगे, मासिक आधार पर देय होंगे, जो चालान और प्रदर्शन की जांच जमा करने के अधीन होंगे। बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद उस पर भुगतान किया जाएगा कि प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक रही हैं और सभी सांविधिक देयियों/करों आदि को काटने के बाद।

ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मियों द्वारा संचालित वास्तविक शिफ्टों के लिए मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा और पी एंड एसओ और अन्य सहायक दस्तावेजों द्वारा विधिवत सत्यापित उपस्थिति पत्रक के आधार पर किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को देय राशि से स्रोत पर कर और समय-समय पर लागू अन्य सभी करों, शुल्कों की कटौती करेगा। बैंक किसी भी खाते पर कोई अन्य दावा नहीं करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि लगे हुए पुरुषों को समय पर उनका हक प्राप्त होना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के ईटानगर में तैनात संविदा कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बिल अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे:

- i. वर्तमान महीने चालान प्रतिलिपि।
- ii. चालू माह का वेतन रजिस्टर (फॉर्म XVII [संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 का नियम 78 (1) (ए) (i) देखें], व्यक्तिगत संविदा श्रमिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित। यदि लागू हो)
- iii. वर्तमान माह उपस्थिति रजिस्टर/शीट।
- iv. वर्तमान माह ईएसआई प्रेषण चालान (यदि लागू हो) समेकित और ब्रेकअप विवरण के साथ।
- v. वर्तमान माह ईपीएफ प्रेषण चालान, जैसा भी लागू हो, समेकित और ब्रेकअप विवरण के साथ।
- vi. बैंक अधिकारियों द्वारा विधिवत प्राधिकृत एजेंसी का बैंक विवरण जिसमें चालू माह के लिए प्रत्येक कर्मचारी को किए गए वेतन भुगतान का विवरण हो।
- vii. संविदा कर्मचारियों को किए गए किसी अन्य भुगतान (बोनस आदि) का प्रमाण।
- viii. एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का ग्यारह) के तहत लागू प्रपत्रों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम के तहत सभी लागू नियमों, ईपीएफओ, ईएसआईसी (यदि लागू हो), बोनस और श्रमिकों के रोजगार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य सभी अधिनियम/नियमों का पालन कर रहे हैं।

एजेंसी अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों को वेतन पर्ची जारी करेगी। एक अस्थायी प्रारूप इस प्रकार है:

कर्मचारी का नाम	महीना	पदनाम
		नहीं। उपस्थित दिनों/कर्तव्यों की संख्या: -
वेतन विवरण		ईएसआई सं.
देय भुगतान		पीएफ नं.
BASIC		कटौती राशि EPF (%)
BONUS		ईएसआई (%)
HRA		सुरक्षा जमा
GRATUITY		कुल कटौती:
OTHERS ALLOW.		
ADD. ALLOW/LATE DUTY GROSS		
WAGES		
OT		
GROSS WAGES + OT		
DEDUCTIONS (TAXES AND ANY		
OTHER CHARGES)		
NET PAYABLE (Rs.)		

सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर पर आगामी महीने की 10 तारीख तक मासिक चालान जारी करेगी।

पाँच. वित्तीय समावेशन: सफल निविदाकर्ता/एजेंसी/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक परिसर में तैनात सभी कर्मचारियों के पास एटीएम कार्ड के साथ एक बचत बैंक खाता हो। मजदूरी के भुगतान का भुगतान केवल एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा और मजदूरी का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक किया जाना चाहिए।

छः. परिसमापन क्षति और तत्काल समाप्ति: समझौते की किसी भी अवधि के दौरान एजेंसी द्वारा प्रदान की गई किसी भी / या अधिक शर्तों के उल्लंघन और/या सेवाओं को संतोषजनक नहीं पाया जाता है (जनशक्ति को बनाए नहीं रखना, ड्यूटी पर सतर्क नहीं पाना, अनुशासनहीनता और अनुचित वर्दी/मतदान आदि) के मामले में,

कुल मासिक बिल के (अधिकतम) 10% के अधीन राशि को एक महीने के लिए परिसमापन क्षति के रूप में काट लिया जाएगा और यदि बाद के किसी भी महीने में प्रदर्शन असंतोषजनक बना रहता है, गैर-संतोषजनक सेवा की गंभीरता के आधार पर सात दिनों की छोटी सूचना देकर एजेंसी की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। कमी वाली सेवा की प्रकृति जिसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या संविदा रद्द/समाप्त किया जा सकता है, पूरी तरह से बैंक के विवेक पर तय किया जाएगा। दंडात्मक कार्रवाई में बैंक की भविष्य की निविदाओं में भाग लेने के लिए एजेंसी को अयोग्य घोषित करना भी शामिल हो सकता है।

सात. यौन उत्पीड़न: सफल एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करेगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधि के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत सफल एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और सफल एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

- अ. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सफल एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- आ. सफल एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- इ. सफल एजेंसी किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी, जिसे सफल निविदाकर्ता/एजेंसी/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सफल एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन दुर्व्यवहार साबित हो जाता है।
- ई. सफल निविदाकर्ता/एजेंसी/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कोई भी कर्मचारी/कर्मचारी/प्रतिनिधि बैंक के परिसर में निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक प्रवेश नहीं करेगा या रहेगा, जब तक कि सफल एजेंसी दायित्वों को पूरा करने के लिए और बैंक सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति के साथ अत्यंत आवश्यक न हो।

आठ. गैर-प्रकटीकरण खंड:

- अ) सफल एजेंसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगी, जो इस निविदा के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान सफल एजेंसी के कब्जे या ज्ञान में आ सकती है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगी।
- आ) सफल एजेंसी संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा के।
- इ) सफल एजेंसी किसी को प्रकाशित नहीं करेगी, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी, या किसी का खुलासा नहीं करेगी
बैंक/नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर किए गए कार्यों का विवरण।
- ई) सफल एजेंसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक/नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगी। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को सफल एजेंसी की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक/नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।
- उ) सफल एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय सूचना का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

ऊ) गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सफल एजेंसी के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

नौ. अप्रत्याशित घटना: यदि संविदा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, भगवान के कार्य आदि कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना के होने के बारे में सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे प्रदर्शन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। संविदा के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर संविदा को समाप्त कर सकता है।

दस. संविदा की समाप्ति:

ऊपर दिए गए विवरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक/नियोक्ता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के लिखित सूचना द्वारा संविदा को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि-

अ) बैंक/नियोक्ता की राय में (जिसे सफल एजेंसी द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और सफल एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा) सफल एजेंसी बैंक की संतुष्टि के लिए संविदा को लागू करने में विफल रहती है या इनकार करती है; और/या

आ) सफल एजेंसी संविदा के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करती है; और/या

इ) किसी भी कारण से, सफल एजेंसी संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी कानून के तहत अयोग्य हो जाती है; और/या

ई) बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना सफल एजेंसी या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी में कोई भिन्नता है; और/या

उ) सफल एजेंसी को दिवालिया/दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके द्वारा अपने लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या यदि उस पर संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लगाई जाती है या सफल निविदाकर्ता/एजेंसी/फर्म/कंपनी/एजेंसी की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

किसी भी कारण से संविदा की समाप्ति की स्थिति में, सफल एजेंसी या इसके द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे या क्षति के रूप में बैंक/नियोक्ता से किसी भी राशि या रकम के हकदार नहीं होंगे।

ग्यारह. स्टाम्प ड्यूटी और अन्य कानून शुल्क: एजेंसी संविदा के आबंटन के अनुसार समझौते के निष्पादन के लिए स्टाम्प शुल्क और/या अन्य कानून शुल्क वहन करेगी। समझौते को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा और बैंक मूल को बनाए रखेगा और एजेंसी डुप्लिकेट को बनाए रखेगी।

बारह. अखंडता खंड: नियोक्ता की ओर से किसी भी लाभ की तलाश या स्वीकार नहीं करने का वादा करना, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है। नियोक्ता सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करे। बोलीदाताओं की ओर से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई लाभ या समझ प्रदान नहीं करने का वादा करना। बोलीदाता नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी को व्यावसायिक संबंधों के हिस्से के रूप में दूसरों को पास नहीं करेंगे और पीसी/आईपीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। बोलीदाताओं को उनके द्वारा एजेंटों/दलालों या

किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना होगा। बोलीदाताओं को किसी भी अन्य कंपनी के साथ किसी भी उल्लंघन का खुलासा करने के लिए जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है।

तेरह. मध्यस्थता:

- (अ) इस संविदा से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालांकि, यदि विवादों को संयुक्त चर्चा द्वारा हल नहीं किया जाता है, तो मामले को जीएम (ओआईसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
- (आ) एकमात्र मध्यस्थ का आबंटन अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता का स्थान आरबीआई होगा, ईटानगर।
- (इ) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही और संविदा की मुद्रा के लंबित रहने के दौरान, कोई भी पक्ष उस कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा जिससे विवाद मध्यस्थता के कारण संबंधित है और एजेंसी को भुगतान संविदा के संदर्भ में किया जाता रहेगा।
- (ई) इस निविदा से संबंधित सभी मामले केवल आईटीएनगर में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

चौदह. अन्य शर्तें:

एक. एजेंसी ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगी; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बच्चों का रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं। बैंक आवश्यक समझे जाने पर इस तरह के अनुपालन के प्रमाण के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और एजेंसी इसका पालन करेगी। एजेंसी उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और आरबीआई, ईटानगर को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाली चूक, दोष, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल, आरबीआई, ईटानगर ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय को कवर करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे दावों के कारण भुगतान पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है जैसे ठेकेदार के मासिक भुगतान या ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि से या बैंक गारंटी का आह्वान करके मांग, हानि या चोट।

दो. एजेंसी को सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जो संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रदान किया गया है, जिसे धारा 21 संविदा लैबू (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के साथ पठित किया गया है और उपरोक्त अधिनियम या किसी अन्य कानून की अन्य आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा, जैसा कि लागू हो, ऐसा न करने पर यह सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई/कार्यवाही के लिए अकेले जिम्मेदार होगा। बैंक को एजेंसी के कार्यों,

कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से एजेंसी द्वारा लगाए गए मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

तीन. उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत यहां किसी भी दायित्व को पूरा करने में एजेंसी की विफलता, आरबीआई, ईटानगर ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय की वसूली करने का हकदार होगा, जो उसे ऐसे दावों के कारण भुगतान पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है, एजेंसी के मासिक भुगतान और सुरक्षा धन जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी से मांग, हानि या चोट।

चार. अग्निशमन कर्मचारियों की बीमारी, छुट्टी, या किसी भी कारण से ड्यूटी से अनुपस्थिति के मामले में, एजेंसी ऐसे कर्मचारियों को बदलने का कार्य करेगी। बैंक अग्निशमन कर्मचारियों के प्रतिस्थापन के कारण किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो एजेंसी का दायित्व होगा।

पाँच. एजेंसी उनके द्वारा तैनात व्यक्तियों की हालिया तस्वीर के साथ नाम, माता-पिता, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगी। कार्य के लिए तैनात एजेंसी के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, यह उनकी तस्वीरों/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारी ड्यूटी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।

छः. एजेंसी अकेले ही हर समय वेतन/मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, अंशदायी बचत निधि, ग्रेजुटी, जोखिम बीमा और ईएसआईएस से कम नहीं है, बैंक को प्रदान किए गए फायरमैन को जब भी देय हो और सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखेगी। यह सहमति और समझ में आता है कि ऐसे फायरमैन को बैंक का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और बैंक के खिलाफ उनका कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। हालांकि, बैंक ऐसे रिकॉर्ड को कॉल करने और निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जब और जब बैंक द्वारा उचित समझा जाता है और एजेंसी उचित समय के भीतर बैंक को इसकी आपूर्ति करेगी, जैसे कि चार दिनों से अधिक नहीं। एजेंसी "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948" के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करेगी। एजेंसी को संबंधित संगठनों (ईएसआईसी और ईपीएफओ) में ईएसआई और ईपीएफ योगदान जमा करना होगा और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारियों को तुरंत ईएसआई कार्ड और ईपीएफ कार्ड दिया जाए।

सात. अग्निशमन कर्मचारियों के रहने के लिए आवास एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर प्रदान किया जाएगा। बैंक इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा।

आठ. एजेंसी द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी एजेंसी के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या आरबीआई, ईटानगर द्वारा उसके द्वारा तैनात अग्निशमन कर्मचारियों की विफलता या लापरवाही के कारण या एजेंसी द्वारा समझौते के उल्लंघन की स्थिति में हानि/क्षति की स्थिति में जब्त या विनियोजित की जा सकती है।

नौ. कि ड्यूटी के कार्यकाल के दौरान अग्निशमन कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक की संपत्ति की रक्षा करेंगे और सामान्य परिस्थितियों में बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा एजेंसी के माध्यम से सौंपे गए अन्य सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करेंगे। हालांकि, आपातकालीन आदि के मामले में जब एजेंसी से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कर्तव्यों को अग्निशमन कर्मचारियों को सौंपा जा सकता है, इसलिए बैंक द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारियों द्वारा सीधे तैनात किया जाता है और ऐसे कर्मचारी ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे। यदि कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान कोई सुरक्षा मामला उठता है जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप शामिल है, तो एजेंसी के प्रतिनिधि को मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और पुलिस के साथ एफआईआर दर्ज करने आदि जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। एजेंसी लागू ओवरटाइम भत्ते का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, यदि कोई हो, और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।

दस. इस प्रकार तैनात कर्मियों की लापरवाही के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक की सरकारी संपत्ति का कोई भी नुकसान एजेंसी से वसूल किया जाएगा और एजेंसी को उचित सूचना देने के बाद इसका निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी यानी उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंध विभाग) द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, एजेंसी को जीएम (ओआईसी) के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

ग्यारह. जैसा कि इस निविदा दस्तावेज में कहीं और उल्लेख किया गया है, यहां एक बार फिर यह स्पष्ट किया गया है कि बैंक की किसी भी सेवा शर्त को लागू करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो एजेंसी के पास अपने स्वयं के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ हो सकती है, जिन्हें बैंक के लिए ड्यूटी पर रखा जा सकता है। हालांकि, अपनी स्वयं की जानकारी, अनुसंधान और विश्लेषण, बजट/प्रशासनिक उपाय के लिए यदि बैंक एजेंसी से कोई जानकारी मांगता है, तो वह चार दिनों के भीतर उसे प्रदान करेगा। इसके अलावा, बैंक को उम्मीद है कि वे अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए अच्छे नियोक्ता होंगे ताकि बैंक की छवि के कारण संभावित शर्मिंदगी के कारण बैंक को अपनी सेवा शर्तों के बारे में उनसे कोई शिकायत न मिले।

बारह. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी बैंक की अनुमति के बिना समझौते की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को स्थानांतरण/परिवर्तन नहीं करेगी।

तेरह. तैनात प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन आवश्यक और अनिवार्य है। यह सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह तैनाती से पहले सभी फायर स्टाफ का उचित पुलिस सत्यापन करवाए। इस आशय का एक प्रमाण पत्र सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाना है कि संविदा के उद्देश्य के लिए तैनात उसके कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन पूरा हो गया है और जब भी आवश्यक हो, बैंक द्वारा इसे बुलाया जा सकता है।

चौदह. यह सुनिश्चित किया गया है कि सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी लेने के बाद, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर या उसके नामित व्यक्ति के परामर्श से अपने कर्मियों को कार्य के उचित समनुदेशन के लिए तंत्र तैयार करेगी। इसके बाद, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करेगी और महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को अपनी प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सलाह देगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी आगे समय-समय पर इस संबंध में महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर या महाप्रबंधक द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों/निर्देशों से बाध्य होगी और उनका पालन करेगी।

पंद्रह. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएम (ओआईसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर या जीएम (ओआईसी) द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्तियों पर औचक जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहे हैं।

सोलह. यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई भी व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी दंगे या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त होता है, तो सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी तुरंत वापस ले लेगी और ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करेगी। जीएम (ओआईसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर। इसके अलावा, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी उक्त व्यक्ति की ओर से उपरोक्त में से किसी भी कार्य के मामले में इस प्रकार तैनात विशेष व्यक्ति को तुरंत बदल देगी।

सत्रह. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा अग्नि नियंत्रण कक्षों में अपनी लागत पर एक समर्पित मोबाइल नंबर प्रदान किया जाना चाहिए।

अठ्ठारह. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में जो भी हो, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। यदि इस प्रकार तैनात सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कोई कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार के विवाद में प्रवेश करता है, तो सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह इसका विरोध करे। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामला लड़ना माना जाता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रिम रूप से किया जाएगा। मांग पर ईटानगर। इसके अलावा, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या कोई अन्य देयता न आए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

उन्नीस. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार तैनात किए गए व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना आरबीआई, ईटानगर से संबंधित अग्नि सुरक्षा उपकरण सहित कोई भी संपत्ति परिसर से बाहर न ले जाएं। किसी भी बेईमानी, मिलीभगत और/या गुप्त मकसद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, गेट पास पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित और अधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर को सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को बाद में किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, के साथ लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

बीस. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखे और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामले की रिपोर्ट तुरंत आरबीआई, ईटानगर के सुरक्षा अधिकारियों को दे। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की यह एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह आरबीआई, ईटानगर की अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी चल और अचल संपत्ति और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे और यदि बेईमानी के कारण आरबीआई, ईटानगर को कोई नुकसान होता है, और/या सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी या उसके कर्मचारी/एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के कारण, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी बैंक को होने वाले नुकसान की मांग पर भरपाई करेगी। उन्हें आरबीआई, ईटानगर अधिकारियों के परामर्श से भी कदम उठाने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जा सके।

**तकनीकी और वित्तीय बोलियों के बारे में सामान्य निर्देश (ई-टेंडरिंग प्रक्रिया
के लिए प्रासंगिकता में पढ़े जाने के लिए)
(स्कैन और अपलोड किया जाना है)**

एक. भाग- I (तकनीकी बोली)

एक.एक. ई-निविदा (ओपन-ट्विन बिड सिस्टम) को निर्धारित संविदात्मक दायित्वों के अनुसार 12 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए ईटानगर में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर के लिए अग्निशमन स्टाफ (अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए) प्रदान करने के लिए कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से ई-निविदा (ओपन-ट्विन बिड सिस्टम) आमंत्रित की जाती है। हालांकि, संविदा को उस अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है, जो सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन और संबंधित इकाई द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन है। संविदा का अनुमानित मूल्य **₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र)** है। उटसोर्सिंग एजेंसी (इसके बाद "एजेंसी" के रूप में संदर्भित) अपने रोजगार के तहत प्रशिक्षित, वर्दीधारी अग्निशमन सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करेगी, और भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के मुख्य कार्यालय परिसर में भवनों, उपकरणों, सामग्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी, जैसा कि इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया है और उक्त परिसर की निगरानी और निगरानी की जाएगी।

एक.दो. निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड। निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियां/फर्म/एजेंसियां आवेदन करने के पात्र हैं।

S.No	मापदंड	आवश्यक दस्तावेज़
1.	योग्य संस्थाएं: बोलीदाता को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए। प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप एफआईआर, एलएलपी फर्म, कंपनियों के तहत पंजीकृत कंपनियां होंगी।	कानूनी स्थिति और अन्य विवरणों जैसे जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन नंबर और ईपीएफ पंजीकरण, ईएसआईसी पर लागू पंजीकरण/निगमन के प्रमाणन की प्रमाणित प्रति के साथ अनुलग्नक IV जारी किया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
2.	कार्य अनुभव: अनुभव का विवरण अनुलग्नक I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है	(अ) हवाई अड्डों, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों, दूतावासों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में इसी तरह के कार्यों का न्यूनतम तीन (03) वर्ष का अनुभव (31 दिसंबर, 2025 तक)। आवेदकों को अपनी ग्राहक सूची और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाया गया हो। (आ) एजेंसी को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक अच्छी तरह से स्थापित और प्रतिष्ठित संगठन होना चाहिए

<p>3.</p>	<p>प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य। अनुलग्नक II के अनुसार</p>	<p>ठेके की अनुमानित लागत लगभग है। ₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ रूपये मात्र। एजेंसी को 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों (अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें):</p> <p>(अ) इसी तरह के तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹19,00,065/- (उन्नीस लाख पैसठ रूपये मात्र) से कम नहीं है, यानी अनुमानित लागत का 40%।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(आ) दो समान कार्य, प्रत्येक की लागत कम से कम नहीं है ₹ 23,75,081/- (23 लाख पचहत्तर हजार 81 रूपये मात्र), यानी अनुमानित लागत का 50%।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(इ) इसी तरह का एक काम, जिसकी लागत ₹38,00,129/- (केवल अड़तीस लाख एक सौ उनतीस रूपये) से कम नहीं है, यानी अनुमानित लागत का 80%।</p> <p>संतोषजनक पूर्णता / प्रदर्शन के लिए ग्राहक रिपोर्ट दस्तावेजी प्रमाण के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए (स्कैन की गई कॉपी पीडीएफ प्रारूप) तदनुसार कार्य आदेश प्रस्तुत करें (अनुलग्नक II के अनुसार)</p>
<p>4.</p>	<p>वार्षिक कारोबार: पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी 31 मार्च, 2025 तक अग्निशमन सेवा गतिविधियों के प्रावधान से ₹47,50,161/- (47 लाख पचास हजार एक सौ इकसठ रूपये केवल) के बराबर राशि का न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए।</p>	<p>अनुलग्नक-V के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टर्नओवर निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र पर विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।</p>

5.	पंजीकरण:	<p>एजेंसी को निम्नलिखित पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी चाहिए:</p> <p>अ. कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र और एसोसिएशन के लेख के साथ।</p> <p>आ. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।</p> <p>इ. ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।</p> <p>ई. ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (नवीनतम) के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र।</p> <p>उ. ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)</p> <p>ऊ. सेवा कर/जीएसटी पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र</p> <p>ऋ. विशेष रूप से राशि के लिए कार्य के उद्देश्य के लिए अपने बैंकर से सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र ₹47,50,161/- (₹. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र. सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की जारी की गई तारीख 31 दिसंबर, 2025 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।</p>
6.	कार्यालय का स्थान	<p>एजेंसी के पास अरुणाचल प्रदेश में एक कार्यालय (पंजीकृत / कॉर्पोरेट / शाखा / क्षेत्रीय / क्षेत्रीय / प्रतिनिधि / संपर्क) होना चाहिए (पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए)</p>

एक.तीन. कंपनी/फर्म/एजेंसी की पात्रता विवरण:

- अ) कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण, विस्तार से, प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र, ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। एक साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण; और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पते आदि के साथ विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी है)।
- आ) कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित पूर्व-योग्यता मानदंडों में आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। किसी अन्य केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी चाहिए)।
- इ) बैंकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी जैसे कि संपर्क अधिकारियों के नाम, वर्तमान संपर्क/डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, आदि (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि इसकी आवश्यकता हो) प्रस्तुत की जानी चाहिए (स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी चाहिए)।

एक.चार.पात्र बोलीदाता को (अनुलग्नक-III) में दी गई चेक लिस्ट संलग्न करना होगा। ई-टेंडर जमा करते समय पीडीएफ प्रारूप में 'एमएसटीसीकॉमर्स' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति (प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए):

एक.पाँच. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एक.छः. इच्छुक निविदाकर्ताओं को **एनईएफटी/लाभार्थी के नाम के माध्यम से भुगतान करके** ₹95,004/- (95,004 रुपये मात्र) की राशि जमा करनी होगी लाभार्थी खाता संख्या – 186003001 आईएफएससी - RBIS0GTPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) भारतीय रिज़र्व बैंक ईटानगर। कृपया दिए गए प्रारूप में आवेदन करते समय यूटीआर लेनदेन विवरण का उल्लेख करें

एक.सात. ईएमडी के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

एक.आठ. यदि बोलीदाता निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या संविदा या कार्य के आबंटन को निष्पादित करने में विफल रहता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

दो. भाग- II (वित्तीय बोली)

दो.एक ऑनलाइन निविदा के भाग-II में वित्तीय बोली के प्रोफार्मा में केवल सेवा प्रदाता की उद्धृत दरें शामिल होनी चाहिए।

दो.दो निविदा दरों में कंपनी/एजेंसी/फर्म की सभी देनदारियां शामिल होंगी जैसे न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई और ईपीएफ (यदि लागू हो) अंशदान, आदि। इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी कानूनों/दिशानिर्देशों का उल्लेख किया जा सकता है। दरों में साइट पर आवश्यक सामग्री, श्रम और उपकरण/मशीनरी आदि की लागत भी शामिल होगी। दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों को उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।

दो.तीन न्यूनतम मजदूरी (भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार), ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि जैसे वैधानिक दायित्वों के अनुरूप नहीं होने वाली वित्तीय बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं।

दो.चार सभी सांविधिक कटौतियां, जैसा लागू हो, कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से की जाएंगी। इसलिए, वित्तीय बोली सभी समावेशी होगी।

दो.पाँच निविदा की परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के लिए उचित नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।

दो.छः यदि कोई बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

तीन.निविदा का खोला जाना ।

निविदा खोलने के लिए इसके लिए खंड-1 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार।

तीन.एक निविदा की वैधता: कीमतों के साथ निविदा भाग- 1 के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जो अवधि निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा और बढ़ाई जा सकती है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या उद्धृत दरों को नहीं बदलेगा।

तीन.दो निविदा दस्तावेज जो निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

तीन.तीन सशर्त बोलियों को भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

तीन.चार केवल उन निविदाकर्ताओं की भाग-11 (वित्तीय बोली) जो तकनीकी बोली (भाग-1) में अर्हता प्राप्त करते हैं, बाद की तारीख को खोली जाएगी, जिसके लिए योग्य निविदाकर्ताओं को सूचना दी जाएगी।

तीन.पाँच बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ऊपर दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

स्थान:

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

तकनीकी बोली फॉर्म - 1
(निविदाकर्ता के लेटलेटर हेड पर दिया जाना है)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
चिंपू
ईटानगर - 791111

प्रिय महोदय,

ईटानगर में स्थित आरबीआई कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा संविदा के लिए ई-निविदा

उपरोक्त के जवाब में और भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ पूर्ण समझौते में:

- अ. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले, मैंने/हमने निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और उनका पालन करने का वचन दिया है।
- आ. मैं/हम समझते हैं कि केंद्र सरकार/अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, मैं/हम यह भी समझते हैं कि सभी वैधानिक भुगतान जैसे ईपीएफ/ईएसआई/बोनस/ग्रेच्युटी, छुट्टी, राहत प्रभार, वर्दी, आदि को भी विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित रूप से मुझे/हमारे द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता है।
- इ. मैं/हम ₹95,004/- (केवल पंचानबे हजार चार रुपये) की बयाना राशि जमा का भुगतान केवल एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे।
- ई. संविदा का आबंटन प्राप्त करने पर, मैं/हम एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करेंगे, यानी संविदा मूल्य का 5% जो संविदा की अवधि के बाद दो महीने के लिए वैध होगा।
- उ. मैं/हम यह भी समझते हैं कि महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी निविदा बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका निर्णय मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
- ऋ. मेरे पास कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा/सेवा कर/जीएसटी आदि के संबंध में वैध पंजीकरण है, जिसकी प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं।
- लृ. मैं/हम सहमत हैं और यदि हमारी बोली सफल और स्वीकार की जाती है, तो बैंक की आवश्यकता के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक में अग्नि सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने का वचन देते हैं।
- एँ. मैं/हम यह भी समझते हैं कि निर्दिष्ट समय के भीतर समझौते को निष्पादित करने में मेरी ओर से विफलता

या कार्य को विधिवत निष्पादित करने में मेरी ओर से विफलता की स्थिति में बैंक द्वारा सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी या समझौते के नियमों और शर्तों के मुझे/हमारे कारण उल्लंघन के मामले में बैंक गारंटी का आह्वान किया जाएगा।

ऐ. मैं/हम एतद्वारा यह भी घोषणा करते हैं कि बोली में दिए गए बयान और दी गई जानकारी हर विवरण में पूर्ण, सत्य और सही है।

मैंने/हमने ई-खरीद के लिए निर्देश, बोलीदाताओं को सामान्य निर्देश, मूल्यांकन/चयन मानदंड, कार्य का व्यापक दायरा, सामान्य नियम और शर्तें, स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त शर्तें पढ़ ली हैं और यदि प्रदान किया जाता है तो संविदा को निष्पादित करने के लिए इसे स्वीकार करते हैं।

भवदीय,

स्थान:

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

तकनीकी बोली फॉर्म - 2: बोलीदाता का विवरण

S.No।	आवश्यक जानकारी	बोलीदाता की टिप्पणियाँ
1.	बोलीदाता की श्रेणी (प्रोपराइटर/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी)	
2.	बोलीदाता का नाम (फर्म/कंपनी का नाम और प्रोपराइटर/निदेशकों का नाम बताएं)	
3.	पंजीकरण संख्या। और बोलीदाता की कानूनी स्थिति	
4.	निगमन/पंजीकरण की तिथि	
5.	संपर्क और संचार विवरण के साथ बोलीदाता के कार्यालय का पता	
6.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण	नाम: पदनाम: पता: टेलीफोन: गतिमान: ई-मेल
7.	संपर्क और संचार विवरण के साथ बोलीदाता का ईटानगर स्थित कार्यालय का पता	
8.	वित्तीय पात्रता: राशि का न्यूनतम वार्षिक कारोबार के बराबर ₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी 31 दिसंबर, 2025 तक अग्निशमन सेवा गतिविधियों के प्रावधान से। (अनुलग्नक V के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टर्नओवर निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र पर विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ अभ्यास करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
9.	अनुभव: 31 दिसंबर, 2025 तक कम से कम पांच वर्षों तक लगातार व्यवसाय में (अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए) होने का प्रमाण। (अनुभव का विवरण अनुलग्नक I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है)।	

10.	<p>ठेके की अनुमानित लागत लगभग है। 1. ₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र). एजेंसी को पिछले दौरान इसी तरह के कार्यों (अग्निशमन स्टाफ प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है पांच 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें):</p> <p>अ. इसी तरह के तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹19,00,065/- (उन्नीस लाख पैसठ रुपये मात्र) से कम नहीं है, यानी अनुमानित लागत का 40%।</p> <p>या</p> <p>आ. दो समान कार्य, प्रत्येक की लागत कम से कम नहीं है ₹ 23,75,081/- (23 लाख पचहत्तर हजार 81 रुपये मात्र), यानी अनुमानित लागत का 50%।</p> <p>या</p> <p>इ. इसी तरह का एक काम, जिसकी लागत ₹38,00,129/- (केवल अड़तीस लाख एक सौ उनतीस रुपये) से कम नहीं है, यानी अनुमानित लागत का 80%।</p>	
11.	<p>बोलीदाता का बैंक विवरण सभी जानकारी केवल ब्लॉक अक्षरों में भरी जानी चाहिए। उपरोक्त विवरण वाले रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न की जानी चाहिए</p>	
12.	<p>दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।</p>	
13.	<p>प्रमाणपत्र से ईएसआई कॉर्पोरेशन (नवीनतम)</p>	
14.	<p>ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)</p>	
15.	<p>संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)</p>	

16.	सेवा कर/जीएसटीआईएन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र	
17.	कंपनी के पैन कार्ड का विवरण	
18.	विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य से अपने बैंकर से सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र ₹47,50,161/- (केवल सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र) सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि 31 दिसंबर, 2025 से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।	
19.	इंगित करें कि क्या किसी मुकदमेबाजी में शामिल है	
20..	कोई भी विवाद (वैधानिक सहित (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

भवदीय,

स्थान:

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

अनुभव का विवरण (बोलीदाता
के लेटर हेड पर)

आवेदक का नाम: _____

क्रम संख्या	ग्राहक विवरण	कार्य का संक्षिप्त विवरण (उदाहरण के लिए तैनात अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या आदि)	काम शुरू होने की तारीख	कार्य पूरा होने की तिथि	काम की लागत	अनुभव/कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र संलग्न	
						हाँ	नहीं
1.							
2.							
3.							

सभी कॉलम में विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। काम को कालानुक्रमिक क्रम में भरा जाएगा और सबसे पुराने काम पहले भरे जाएंगे।

31 दिसंबर, 2025 तक कम से कम पांच वर्षों के लिए लगातार व्यवसाय में (अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए) होने का प्रमाण अनिवार्य पात्रता मानदंड है।

के लिए और की ओर से: _ (फर्म और मुहर का नाम) दस्तखत देखिए। : ____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) व्यक्ति

का नाम: _____

पदनाम : _____

बोलीदाता की मुहर : ____ तारीख

: _____

स्थान : _____

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने वाली फर्म/कंपनी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

प्रति,

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिज़र्व बैंक,
एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू, ईटानगर -
791111

ग्राहक का नाम और पता: -

मैसर्स..... से प्राप्त सेवा का विवरण

क्र. नहीं	विवरण	टिप्पणियाँ
1.	प्राप्त सेवा की प्रकृति	
2.	समझौता सं. और तारीख	
3.	करार राशि फर्म/एजेंसी/कंपनी	
4.	कंपनी/एजेंसी/फर्म के साथ काम करते समय से	
5.	प्रदान किए गए कर्मियों की संख्या अ. फायर सुपरवाइजर आ. फायर सुपरवाइजर इ. लीड फायरमैन ई. फायरमैन उ. अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति ऊ. अप्रशिक्षित व्यक्ति	
6.	संविदा के नियमों और शर्तों के पालन के बारे में टिप्पणियां	
7.	संविदा के नियमों और शर्तों का पालन न करने के लिए लगाया गया कोई जुर्माना	
8.	कोई अन्य जानकारी	

न्यूनतम तीन अलग-अलग ग्राहकों से संतोषजनक पूर्णता/प्रदर्शन के लिए ग्राहक रिपोर्ट।

(हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करें) _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम _____

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

बोली जमा करने के लिए चेक लिस्ट

बोलीदाता का नाम _____

क्रम संख्या	मद	पृष्ठ संख्या _____ तकनीकी बोली प्रस्तुत करने में
1.	एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से बयाना धन जमा (ईएमडी) और एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें	
2.	कानूनी स्थिति पर लागू पंजीकरण/निगमन के प्रमाणन की प्रमाणित प्रति	
3.	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।	
4.	ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)	
5.	ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)	
6.	संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
7.	जीएसटी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र	
8.	कंपनी के पैन कार्ड का विवरण	
9.	विशेष रूप से राशि के लिए कार्य के उद्देश्य के लिए अपने बैंकर से सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र ₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र) सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की जारी की गई तारीख 31 दिसंबर, 2025 से पुरानी नहीं होनी चाहिए।	
10.	₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र) के बराबर राशि का न्यूनतम वार्षिक कारोबार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यानी 31 मार्च, 2025 तक अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के प्रावधान से। (अनुलग्नक V के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टर्नओवर निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र पर विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ अभ्यास करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
11.	अनुभव: 31 दिसंबर, 2025 तक कम से कम तीन वर्षों के लिए व्यवसाय में लगातार (अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए) होने का प्रमाण। (अनुभव का विवरण अनुलग्नक I के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है)।	

12.	<p>ठेके की अनुमानित लागत लगभग है। ₹47,50,161/- (सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ रुपये मात्र)। एजेंसी को 31 जुलाई, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों (अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूरा करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें):</p> <p>अ) इसी तरह के तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹19,00,065/- (उन्नीस लाख पैसठ रुपये मात्र) से कम नहीं है, यानी अनुमानित लागत का 40%।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>आ) दो समान कार्य, प्रत्येक की लागत कम से कम नहीं है ₹ 9,31,662/- (नौ लाख इकतीस रुपये केवल हजार छह सौ बासठ मात्र), अर्थात् अनुमानित लागत का 50%।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>इ) इसी तरह का एक काम, जिसकी लागत ₹38,00,129/- (केवल अड़तीस लाख एक सौ उनतीस रुपये) से कम नहीं है, यानी अनुमानित लागत का 80%।</p>	
13.	ग्राहक कम से कम तीन अलग-अलग ग्राहकों से रिपोर्ट करता है। (के अनुसार अनुलग्नक II)	
14.	तकनीकी बोली फॉर्म - 1	
15.	तकनीकी बोली फॉर्म - 2	
16.	वित्तीय बोली*	
17.	आईएसओ प्रमाणपत्र (आइटम)	

* केवल ऑनलाइन जमा किया जाना है।

मैंने/हमने अपने सबमिटल के साथ उपरोक्त सूची की जाँच की है। मैं/हम जानते हैं कि यदि बोली में उपरोक्त दस्तावेज नहीं हैं, तो हमारी बोली अस्वीकार होने की संभावना है।

स्थान: मुहर के साथ निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

नोट: उपर्युक्त सूची फर्म/एजेंसी की पात्रता तय करने के लिए एक विस्तृत सूची नहीं है। यह फर्म/एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वह पूर्ण बोली दस्तावेज को पढ़े और निर्धारित आवश्यकता के अनुसार अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करे।

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

बोलीदाता द्वारा उपक्रम

एक. मैं/हम मैं/एस.....इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में मेरा/हमारा फर्म नीचे उल्लिखित सभी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत है और उसके लिए प्रमाण संलग्न करते हैं: -

क्रम संख्या	के लिए पंजीकरण	पंजीकृत
क.	कानूनी स्थिति पर लागू पंजीकरण/निगमन के प्रमाणन की प्रमाणित प्रति।	
ख.	पंजीकरण प्रमाणपत्र के तहत दुकानों और स्थापना अधिनियम।	
ग.	ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ संगठन से पंजीकरण	
घ.	ईएसआईसी से पंजीकरण	
ङ.	वस्तु एवं सेवा कर का पंजीकरण	
च.	पैन कार्ड	
छ.	संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन और उन्मूलन) 1970 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	

दो. इसके अलावा, मैं/हम, मैसर्स मैसर्सइसके द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- अ) हमारी फर्म ने पिछले पांच वर्षों में कोई भी काम नहीं छोड़ा है।
- आ) खराब प्रदर्शन के कारण किसी भी संगठन के साथ संविदा समाप्त नहीं किया गया है।
- इ) किसी भी सरकार/अर्ध सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/किसी अन्य द्वारा कभी भी जमानत राशि जब्त नहीं की गई है।
- ई) हमारी फर्म को पिछले पांच वर्षों में दिवालियापन/दिवालियापन का सामना नहीं करना पड़ा है।
- उ) हमारी फर्म को किसी भी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

के लिए और की ओर से: (फर्म और मुहर का नाम) :

हस्ताक्षर _____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

व्यक्ति का नाम : _____

पदनाम : _____

बोलीदाता की मुहर: _____ तारीख

: _____

स्थान : _____

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

वार्षिक कारोबार का प्रमाण पत्र
(यूडीआईएन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट लेटर हेड पर)

बोलीदाता का नाम: _____

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (राशि रुपये में)
1.	वित्त वर्ष 2023-24	
2.	वित्तीय वर्ष 2024-25	
3.	वित्तीय वर्ष 2025-26	

यह प्रमाणित किया जात है कि ऊपर दी गई जानकारी बोलीदाता के लेखापरीक्षित वित्तीय खातों के अनुसार सही है।

यूडीआईएन संख्या
दिनांक: _____

(सीए के हस्ताक्षर, नाम और मुहर)

नोट:-

- अ) उपर्युक्त फॉर्म को विधिवत भरा जाएगा और प्रमाण पत्र पर विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ एक अभ्यास चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
- आ) बोलीदाता वित्त वर्ष 2023 - 24, वित्त वर्ष 2024 - 2025 और वित्त वर्ष 2025 - 26 के लेखापरीक्षित वित्तीय खाते भी प्रस्तुत करेगा।

अनुसूचित बैंक से बैंकरो के प्रमाण पत्र का रूप

(निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किया जाना है)

1. कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम:
2. कंपनी/एजेंसी/फर्म की संरचना (चाहे पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड):
3. कंपनी/एजेंसी/फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम:
4. बैंकर का नाम:
5. शाखा का नाम और पूरा डाक पता:
6. संपर्क व्यक्ति का नाम और नौकरी का शीर्षक उसके टेलीफोन नंबर (ओं) और ई-मेल आदि के साथ:
7. खाते का प्रकार:
8. खाता संख्या:
9. बैंक शाखा का आईएफएससी:
10. पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी/एजेंसी/फर्म का टर्नओवर (वर्षवार):
11. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
12. लेनदेन:
13. वह अवधि जिससे कंपनी/एजेंसी/फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:
14. कोई अन्य टिप्पणी:
15. आप कृपया अपनी राय भी अग्रेषित कर सकते हैं कि क्या उपरोक्त कंपनी/एजेंसी/फर्म को है **₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र)** अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए संविदा सौंपने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है।

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए

स्थान:

दिनांक:

1. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।



भाग II भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, ईटा नगर

वित्तीय बोली

के लिए ई-निविदा
ईटानगर में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए
प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा संविदा

वित्तीय बोली का भाग-II प्रोफार्मा

उपरोक्त के संबंध में और आपके द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ पूर्ण सहमति में, मैं/हम निम्नानुसार बताते हैं:

बैंक द्वारा निश्चित राशि (X) (=वर्तमान डीजीआर मजदूरी दरों के अनुसार 3 फायर सुपरवाइजर और 06 फायरमैन के लिए एजेंसी लाभ और अन्य शुल्क (अप्रैल 2026 से मार्च 2027) के बिना 12 महीने के लिए कुल लागत)	₹47,50,161/- (रु. सैंतालीस लाख पचास हजार एक सौ इकसठ मात्र)
अन्य शुल्क, Y (X के _ % के रूप में) (कामगार मुआवजा बीमा पॉलिसी, सभी जोखिम नीति, प्रशिक्षण, पोशाक/वर्दी, जूते, बैटन, उपकरणों का रखरखाव, वर्दी और उपभोज्य सामग्रियों, वाषक रिचार्ज के साथ मोबाइल फोन, अन्य बीमा, मजदूरी और सांविधिक भुगतान आदि के अलावा अन्य प्रभार के लिए लागत।) में (%)
X+Y=Z का योग में (₹)
उद्धृत एजेंसी लाभ/सेवा शुल्क, V (Z के _% के रूप में) (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2027 तक शुरूआती 12 महीनों के लिए) में अन्य प्रशासनिक शुल्क और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी कर, शुल्क या अन्य लेवी शामिल हैं यदि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अलावा अन्य लागू हो) में (%) (न्यूनतम 3.85%)
एक वर्ष के लिए कुल संविदा मूल्य (जीएसटी को छोड़कर) (डब्ल्यू = जेड + वी) में (₹)
जीएसटी @ _ % 'W' पर = U में (₹)

कृपया ध्यान दें कि उद्धृत दरें जीएसटी से अलग होनी चाहिए और जीएसटी @ 18% या जीएसटी परिषद द्वारा निर्दिष्ट अंतिम दरों पर पहुंचने के लिए उद्धृत करते समय स्वचालित रूप से प्रत्येक उद्धृत दर में जोड़ दिया जाएगा।

वित्तीय बोली केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरी जाएगी

नोट:

अ) न्यूनतम मजदूरी पर भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उद्धृत की जाने वाली दरें क्षेत्र ए के लिए निगरानी और वार्ड (बिना हथियारों के) के तहत फाइल संख्या 1/7(6)/2024-एलएस-II दिनांक 01/04/2024 के अनुसार उद्धृत की जाएंगी। ये दरें नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार अन्य अनिवार्य शुल्कों यानी ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस आदि के अनुरूप भी होनी चाहिए।

आ) उद्धृत दरों में रिलीवर शुल्क शामिल हैं। रिलीवर पोस्ट करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- इ) मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर उद्धृत मूल मजदूरी और वीडिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है और अन्य अनिवार्य शुल्क यानी ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस आदि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।
- ई) मैं/हम सहमत हैं कि वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

वेतन विश्लेषण (दरों का ब्रेक-अप)

यह केवल उदाहरण के लिए है और इसे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसे अनुभाग-वित्तीय बोली के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए। ईएसएम के लिए लागू डीजीआर मजदूरी दर के अनुसार उदाहरणात्मक मजदूरी दरें दी जाती हैं।

वेतन विश्लेषण: आरबीआई, इतानागट (प्रति माह लागत) में तैनात अग्निशमन कर्मचारी

एस नहीं	या क्रिस्म	दर (फायर सुपरवाइजर के लिए) (01.04.2026 तक)	दर (फायरमैन के लिए) (01.04.2026 तक)
A	अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या	3	6
जन्म	दैनिक न्यूनतम मजदूरी (01.04.2025 तक) (केंद्र सरकार के क्षेत्र सी के लिए बुनियादी + वीडिए) *	₹ 893.00	₹ 760.00
के आसपास	प्रति माह शुल्क	26	26
D	प्रति व्यक्ति प्रति माह कुल न्यूनतम मजदूरी (बी एक्स सी)	₹ 23,218.00	₹ 19,760.00
ई	ईपीएफ योगदान @ डी का 13% या ₹ 15,000 जो भी कम हो (प्रशासनिक शुल्क सहित)	₹ 1,950.00	₹ 1,950.00
स्त्री-विषयक	ईएसआईसी का योगदान @ 3.25% डी पर (केवल अगर डी < ₹ 21,000 जो 1 अप्रैल, 2025 तक मौजूदा सीमा है)	₹ 0	₹ 642.00
ग्राम	हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) @ डी का 8% या रु. 1800/- जो भी अधिक हो,	₹ 1,857.44	₹ 1,800.00
H	प्रति माह वैधानिक बोनस (@ डी का 8.33%)	₹ 1,934.06	₹ 1,646.00
I	यूनिफ़ॉर्म आउटफिट अलाउंस (D का @5%)	₹ 1,160.90	₹ 988.00
J	यूनिफ़ॉर्म वाशिंग अलाउंस (D का @3%)	₹ 696.54	₹ 593.00
K	प्रति माह कुल मजदूरी (D+E+F+G+H+I+J)	₹ 30,816.94	₹ 27,379.00
बड़ा	रिलीवर शुल्क 16.67 के K	5,137.18	4564.08.00
लाख	उप कुल	35,954.12	31,943.08
N	एजेसी लाभ/शुल्क के बिना प्रति माह कुल लागत (03 फायर सुपरवाइजर और 06 फायरमैन के लिए)	107862.36	191658.48
O	एजेसी लाभ/शुल्क के बिना शुरुआती 12 महीनों के लिए कुल लागत	₹ 35,94,250.08	
P	सेवा शुल्क/एजेसी लाभ प्रति वर्ष @ 12% ओ	₹ 4,31,310.01 (कृपया दर्ज करें। 3.85% से नीचे उद्धृत बोलीदाता	

		को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
प्रश्न	एजेंसी के लाभ/शुल्क के साथ 12 महीने के लिए कुल लागत (ओ + पी)	₹ 40,25,560.09
R	क्यू पर जीएसटी @ 18%	₹ 7,24,600.82
दक्षिणी	GST@18% (Q+R) के साथ कुल संविदा मूल्य	₹ 47,50,161 (राउंड ऑफ) सिस्टम की गणना

- भुगतान आनुपातिक आधार पर मासिक रूप से किया जाएगा।

ध्यान दें

1. दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 या डीजीआर मजदूरी दर (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में) के अनुरूप होनी चाहिए।
2. मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय या डीजीआर (ईएसएम के मामले में) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मजदूरी की दरों (प्लस वीडिए) को समय-समय पर यानी हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से संशोधित किया जाएगा।
3. इन दरों को तैनात कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रबंधकीय पर्यवेक्षी/प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने पर होने वाले सभी व्यय सहित उद्धृत किया जाना चाहिए।
4. सेवा शुल्क केवल प्रतिशत के **संदर्भ में उद्धृत किया जाना है।**
5. सेवा शुल्क % (प्रतिशत) प्रति व्यक्ति/प्रति माह राशि के रूप में दिया जाना चाहिए।
6. बेसिक प्लस वीडिए पर 3.75% का ईएसआईसी लागू नहीं होगा यदि बेसिक प्लस वीडिए प्रति माह ₹21,000 से अधिक है।
7. **एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा को समायोजित करने और बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई ईटानगर एजेंसियों को तैनाती/प्रशिक्षण लागत, प्रशासनिक और ओवरहेड शुल्क, वर्दी/बुनाई लागत, बीमा संबंधी लागत और लाभ मार्जिन जैसे मापदंडों पर सेवा शुल्क निर्धारित करने की सलाह देता है। 3.85% से कम सेवा शुल्क दर को प्रच्छन्न और तुच्छ बोलियों के रूप में माना जाएगा।**
8. एकसमान प्रभार: इन्हें बैंक द्वारा अपने विवेक पर समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
9. एजेंसी को तैनात कर्मचारियों को भुगतान से संबंधित वेतन पर्ची प्रदान करने की आवश्यकता है।
10. **ईटानगर एरिया-सी के अंतर्गत आता है।** ईएसआईसी, बोनस, ईपीएफ, ईडीएलआई, ईएसआई और एडमिन शुल्क के लिए नवीनतम लागू दरों/मजदूरी सीमा का भी संदर्भ लें।
11. एक से अधिक एल-1 के मामले में, मूल्यांकन पैरामीटर के अनुसार कुल 100 अंकों में से उच्चतम निर्धारित अंकों के साथ फर्म/एजेंसी/बोलीदाता को कार्य प्रदान किया जाएगा।